

**CONTENTS**

**Fifteenth Series, Vol.IV, Second Session, 2009/1931 (Saka)  
No.26, Friday, August 7, 2009/ Sravana 16, 1931 (Saka)**

<b><u>SUBJECT</u></b>	<b><u>PAGES</u></b>
<b>ORAL ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
*Starred Question Nos.481 to 484	3-38
<b>WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
Starred Question Nos.485 to 500	39-95
Unstarred Question Nos.4667 to 4896	96-418

---

\* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**PAPERS LAID ON THE TABLE** **419-426**

**STATEMENT BY MINISTERS**

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 40<sup>th</sup> and 41<sup>st</sup> Reports of the Standing Committee on Railways on “Review of Plan Performance and 11<sup>th</sup> Five Year Plan Projections” and “Review of Special Railway Safety Fund”, respectively, pertaining to the Ministry of Railways.

Shri K.H. Muniyappa 427

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 198<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Industry on Action Taken Report on Professionalization of Boards of CPSEs, pertaining to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

Shri Vilasrao Deshmukh 428

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 207<sup>th</sup> report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2008-09) (Demand No.58), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.

Shri Kapil Sibal 429

**GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED**

**(i) Workmen’s Compensation (Amendment) Bill, 2009** 430

**(ii) Employees’ State Insurance (Amendment) Bill, 2009** 430

**(iii) National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009** 431

**(iv) Land Ports Authority of India Bill, 2009** 441

**MATTERS UNDER RULE 377** **442-447**

(i) Need to take adequate preventive measures to check the spread of H1N1 virus in Pune and other parts of the country

Dr. K. S. Rao 442

(ii)	Need to recover the Government money outstanding against the Industrial Units in the country	
	Shri Hukmadeo Narayan Yadav	443
(iii)	Need to augment irrigation facilities and set up an Agricultural Research Centre in Giridih district of Jharkhand	
	Shri Ravindra Kumar Pandey	444
(iv)	Need to set up a new unit of Fertilizers Corporation of India Limited in Gorakhpur, Uttar Pradesh	
	Yogi Aditya Nath	445
(v)	Need to construct Over Bridges at Gadkhol and Bhulao crossings on Ahmedabad-Mumbai National Highway in Bharuch, Gujarat	
	Shri Mansukhbhai D. Vasava	446
(vi)	Need to start flight services from Disa Airport in Banaskantha district, Gujarat	
	Shrimati Jayshreeben Patel	447
<b>DISCUSSION UNDER RULE 193</b>		
Rise in prices of essential commodities		
	<b>Shri Hansraj G. Ahir</b>	<b>448-449</b>
	<b>Shri Ramashankar Rajbhar</b>	<b>450-451</b>
	<b>Shri Ravindra Kumar Pandey</b>	<b>452-455</b>
	<b>Shri Virendra Kumar</b>	<b>456</b>
	<b>Shri Naranbhai Kachhadia</b>	<b>457-458</b>
	<b>Shri Sharad Pawar</b>	<b>459-479</b>
	<b>VALEDICTORY REFERENCE</b>	<b>481-484</b>

**NATIONAL SONG** **484****ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	485
Member-wise Index to Unstarred Questions	486-489

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	490
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	491-492

**OFFICERS OF LOK SABHA**

**THE SPEAKER**

Shrimati Meira Kumar

**THE DEPUTY SPEAKER**

Shri Karia Munda

**PANEL OF CHAIRMEN**

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

**SECRETARY GENERAL**

Shri P.D.T. Achary

## LOK SABHA DEBATES

---

---

LOK SABHA

-----

Friday, August 7, 2009/ Sravana 16, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[MADAM SPEAKER in the Chair]**

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** अध्यक्ष महोदया, हम चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले। ...(व्यवधान) हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...(व्यवधान) सोलह गरीब जातियों के संबंध में बोलना चाहता हूँ।

**श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह):** अध्यक्ष महोदया, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप कृपया बैठ जाइये। आपको जो भी कहना है, उसे शून्य प्रहर में बोलिये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपसे बात हो चुकी है। आप शून्य प्रहर में बात करिये। मुलायम सिंह जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करिये और प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपको जो भी बात कहनी है, उसे आप शून्य प्रहर में कहिये।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदया, आप हंसकर बात कीजिए। आप गुस्सा मत कीजिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं। आप कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए। शून्य प्रहर में हम इस बारे में बात करेंगे।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदया, हम चाहते हैं कि सदन का कार्य पूर्ण तरीके से चले। ...(व्यवधान) इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं। हम यहां गरीबों की बात उठाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप शून्य प्रहर में इस बात को उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

## (Q No. 481)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न सं0 481, श्री दिनेश चन्द्र यादव।

**श्री दिनेश चन्द्र यादव :** अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बैंक को शुरू करने के पीछे सरकार की अवधारणा थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर सबल बनाया जाये। चौदहवीं लोक सभा में वित्त राज्य मंत्री ने प्रश्न संख्या 4728 के उत्तर में कहा था कि ग्रामीण बैंक में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए हम सभी बैंकों को कम्प्यूटराइज्ड करेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे और अनुभवी व्यक्तियों को पदस्थापित कर बेहतर सुविधा उपलब्ध करायेंगे। मैंने मंत्री जी से अपने प्रश्न के खंड 'ग' में पूछा था कि जनशक्ति की कमी के कारण यानी स्टाफ की जो कमी है, उस कारण बैंक ठीक से नहीं चल पाता। हम बिहार राज्य की बात करना चाहते हैं। उत्तर बिहार के सहरसा, खगड़िया, मधुबनी और दरभंगा जिले के 40 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों में बैंक मैनेजर ही नहीं है। स्केल टू के जितने बैंक्स हैं, जिनमें चार कर्मचारी होने चाहिए, उनमें कहीं एक कर्मचारी है, तो कहीं दो कर्मचारी हैं। मंत्री जी ने हमारे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कर्मचारियों की कमी के लिए वे क्या करेंगे?

अध्यक्ष महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ तथा वायेबल करने के लिए सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व देश में इनका पुनर्गठन कराया था, जिससे बैंकों की संख्या में काफी कमी आयी। किन्तु कार्य प्रणाली में सुधार एवं स्पॉन्सर्ड बैंक द्वारा अपने अधिनस्थ बैंकों पर वर्चस्व न होने के कारण ये बैंक्स लक्ष्य के अनुरूप सुदृढ़ एवं वायेबल नहीं हो सके। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इन बैंकों का पुनर्गठन किन उद्देश्यों के लिए कब किया गया और पुनर्गठन से पूर्व इन बैंकों की संख्या क्या थी? इसके साथ-साथ पुनर्गठन के पश्चात् राज्यवार कितनी संख्या देश में रह गयी तथा दोनों स्थितियों में क्रमशः ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री दिनेश चन्द्र यादव :** राज्यवार घाटे की स्थिति क्या है और उसमें कितने का अंतर है? ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** माननीय सदस्य, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिये हैं। केवल एक प्रश्न पूछा जाता है।

...(व्यवधान)

**श्री दिनेश चन्द्र यादव :** अध्यक्ष महोदया, ठीक है। मंत्री जी ने इस संबंध में कई सुझाव सुझाये हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन सुझावों को आप कब तक कार्यान्वित करेंगे?



SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, let me answer the number of questions put by the hon. Member. It is quite natural that the hon. Members have interest in the Regional Rural Banks. All the Annual Reports of the RRBs and commercial banks have been placed on the Table of the House as per the requirement. But as the hon. Member has raised the question, let me respond to it.

The process of amalgamation as per the recommendations of the Vaish Committee was taken up by the Government and the process of amalgamation started from 2005-08 including the establishment of one Regional Rural Bank.

Today, the total number of amalgamated bank branches is 46. The basic principle was, in one State, with one sponsor bank, one Regional Rural Bank would be established. If there are three or four sponsor banks, then three or four Regional Rural Banks will be established. For instance, in Bihar there were four sponsor banks, so four Regional Rural Banks were established.

In Bihar we have, Bihar KGB, Madhya Bihar Gramin Bank, Samastipur KGB, and Uttar Bihar Gramin Bank. There are four Gramin Banks. The Bihar KGB is covering 80 districts; it has 148 total number of branches, with total staff strength of 667. The Madhya Bihar Gramin Bank, for which the sponsor bank is the PNB, covers 11 districts; has totally 407 number of branches; with total staff strength of 1,782. The Samastipur KGB, for which the sponsor bank is the SBI, covers one district; has totally 66 branches; with total staff strength of 291. The Uttar Bihar Gramin Bank, for which the sponsor bank is the Central Bank of India, covers 18 districts; has totally 858 branches, with total staff strength of 3,229.

It is true that there has been shortfall in the staff. Therefore, a Committee was appointed under Shri Thorat. As per the Thorat Committee's recommendations, it was found that in three Banks – the status of staff strength in Samastipur Kshetriya Gramin Bank was not assessed – the staff deficiency was 544. Thorat Committee's recommendations are in the process of being implemented. We are going to fill up these posts. At the managerial level also, there has been some shortfall and that too will be filled up.

If the hon. Member looks at the text of the reply, there, he will find that within these three years, the total annual lending has increased from Rs. 700 and odd crore to more than Rs. 2,029 crore, which is almost three-fold enhancement in the lending. That is there in the text of the reply itself.

**श्री दिनेश चन्द्र यादव :** अध्यक्ष महोदया, बिहार में ग्रामीण बैंक एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रेडिट डिपोजिट के अनुपात में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बिहार के उपमुख्यमंत्री, जो बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, बराबर बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और बैठक में प्रत्येक बार यही बात होती है कि इस कमी की हम भरपाई करेंगे, लेकिन आज तक उन कमियों को दूर नहीं किया गया है, जिससे वहां के लोग काफी परेशान हैं। इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में ग्रामीण बैंक एवं अन्य सार्वजनिक बैंकों द्वारा क्रेडिट डिपोजिट अनुपात के आधार पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में ऋण उपलब्ध कराने की क्या स्थिति है? बिहार में बैंकों के कुछ पदाधिकारी सरकार के विकास कार्यों में सहयोग नहीं करते, ऋण उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है, उसे पूरा नहीं होने देते, क्या माननीय वित्त मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जिससे सुगमता से वहां के लोगों को एवं राज्य सरकार को जो वहां विकास करना चाहती है, अपना टारगेट पूरा करने में सहूलियत हो? क्या सहयोग न करने वाले ऐसे पदाधिकारियों पर आप कोई कार्रवाई करेंगे?

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** Every official of the Bank, including the Chiefs, are expected to cooperate with the State Governments, because that is the basic principle which we are having since the days of nationalisation. At various levels consultative mechanisms have been established. What the hon. Member has referred to is actually correct. I myself was briefed by the Deputy Chief Minister of Bihar, Shri Modi, who was our colleague here.

I have accepted his suggestion and I myself have decided to revive the practice. This practice was in vogue earlier that apart from at the officials' level, one meeting used to be held per year with the Ministers in the presence of the Chief Ministers. As there are 28 States, it may not be possible to have all 28 State-level meetings, but clubbing three or four States together, it is possible to have this type of exercise at the level of the Finance Minister, Chief Ministers and the Finance Ministers with the presence of the Chairman and all the senior officers

of the bank. All these issues are to be addressed after the Session. During the inter-session period, I myself will make this programme. Bihar is very much in our attention and I am aware of the problems that the credit deposit is not at par with the national level, not only in respect of RRBs but also in respect of the commercial banks. We are aware of these problems.

**श्री जगदम्बिका पाल :** अध्यक्ष महोदया, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 76 बैंक्स का समायोजन किया गया है। लेकिन ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक्स एसोसिएशन द्वारा निरंतर मांग की जा रही है कि मुखतलिफ राज्यों में जो ग्रामीण बैंक्स हैं, उन सबका सारे देश में एक संगठन बनाया जाए। क्या केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी? दूसरी गम्भीर बात यह है कि तमाम राज्यों में इन ग्रामीण बैंक्स के कर्मचारियों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह कब तक इसे लागू कर देंगे? इसके अलावा जो सी.डी. रेशो की बात हुई है, उसमें टास्क फोर्स की बैठकें रेग्युलर नहीं होती हैं। उस सम्बन्ध में किसे एकाउंटेबल बनाया जा सकता है?

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** Madam, so far as the first question in respect of demand of the associations of the Regional Rural Bank (RRB) is concerned, we have already taken the decisions of amalgamations and to establish another bank.

Madam, if you permit me, I would like to explain in detail the history of the evolution of the Regional Rural Banks because from the very beginning I myself was associated with it in 1975 when it was found as a result of an important Committee set up by the Reserve Bank that nearly 70 per cent of the rural population are not covered by the institutional credit mechanism. Despite the nationalization of the banks six years before, this report was made available in 1975. Despite the expansions of the rural branches of the commercial banks, it was found that a large chunk of the rural population was not covered by the institutional credit mechanism. That led to the establishment of the Regional Rural Bank with the passage of an Act 'the Regional Rural Bank Act in 1976. The number of Regional Rural Banks was increased from 196 to 296 all over the country. Some of these banks covered one district and some of these banks covered more than one district. At present, 593 districts are covered by the

Regional Rural Banks. But the concept was somehow or other torpedoed and I do not want to look into the history of it. At one point of time, the establishment of a bank was considered as an emergency excess. Therefore, the operation was suspended. Thereafter, an eminent economist, Prof. Lakdawala who was appointed to look into this aspect, came out with his recommendations and suggested that this is a beautiful institution to institutionalise the rural credit. The idea was to have the flexibility of the cooperative societies and the efficiency of the commercial banks putting together and reducing the overhead cost. That was the concept of the Regional Rural Bank. But if it is to be treated just as the commercial branches of the commercial bank, then the very essence of the low-cost banking, villagers-banking concept goes, but that is history. Now, as per the recommendations of the Vyas Committee, the decision has been taken for the amalgamation, and as I mentioned, it is going on for the last three years.

The process is still completed. Out of the 84 banks, 46 are amalgamated banks; 38 are stand-alone Regional Rural Banks and one bank has been established recently in Puducherry. That is one of the latest additions.

So far as the wages are concerned, even today, as the hon. Member is aware, the strike is going on. Today, I hope the strike would be settled as I am told that the management representatives of the IBA and the employees union are sitting together.

**अध्यक्ष महोदया :** श्री उमाशंकर सिंह, आप अपनी सीट से प्रश्न पूछ करिये, आगे से इस बात का ध्यान रखिये।

**श्री उमाशंकर सिंह :** महोदया, वोट के समय अपनी सीट पर चले जाएंगे, अभी तो यह खाली है।

**अध्यक्ष महोदया :** आगे से अपनी सीट से प्रश्न पूछ कीजिए।

**श्री उमाशंकर सिंह :** महोदया, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब जिलावार ग्रामीण बैंक कंट्रोल होता था, तब आम लोगों को ऋण मुहैया कराने और ऋण वसूली में सुविधा उपलब्ध होती थी। बिहार में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। सात-आठ जिलों को मिलाकर वहां चेयरमैन बना दिया है। पहले वहां प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ करते थे तो आम

लोगों को ऋण मुहैया कराने में, ऋण वसूली में तथा ओवर-ऑल कंट्रोल करने में ज्यादा सुविधा होती थी। एक तरफ आप छोटे राज्य और छोटे जिले बना रहे हैं, दूसरी तरफ यह बैंक जिलावार था, उसे आठ जिले पर एक बना रहे हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि पुनः जिलावार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाएगी?

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** This was the beginning. We have this concept. That is why, a large number of Regional Rural Banks were established. Quite a few of them had only one district as per the unit. But it did not yield results. From 1975 till 2005, these 30 years' experiences were there. They wanted to be treated as the branches of the Commercial Banks. My distinguished predecessor Shri Yashwant Sinha is aware of it. His experience was also the same that they did not want to recognise the special objectives for which the Regional Rural Banks were established. If you want to establish the rural branches of the commercial banks, then, why do you require another separate institution? Keeping all these aspects in mind in its establishment, various Committees were appointed. On the recommendations of the Vyas Committee, this amalgamation decision has been taken.

**योगी आदित्यनाथ :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं उन्हें या किसानों को उनके द्वारा आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। साथ ही जो नरेगा के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में खाता खोलने की व्यवस्था जिन कार्ड-होल्डर्स को दी गयी थी, ग्रामीण बैंक उसमें भी हीलाहवाली करते हैं और जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की शिकायत जिला प्रशासन से की जाती है, तो जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी करने के बावजूद भी बैंक उस पर कार्रवाई नहीं करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षित बेरोजगारों, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने, नरेगा के तहत जो जॉब-कार्ड होल्डर्स हैं, उन्हें बैंक में एकाउंट खोलने के लिए क्या सरकार कोई आवश्यक दिशा-निर्देश यहां से जारी करेगी?

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** All these are the objectives of the banks – the nationalised commercial banks including the rural banks. There are institutional arrangements to look into whether they are discharging their functions properly or

not. The NABARD has been placed to look into these aspects. During the current programme of the debt relief and debt waiver, the RRBs also played their very useful role.



(Q. No. 482)

**श्री उदय सिंह :** महोदया, यह एक गंभीर प्रश्न है और एक गंभीर समस्या भी है। प्रश्न का जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, उससे जाहिर होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ गेंद कर रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ गेंद कर रही है। हम सभी सांसदों को मालूम है और मंत्री जी को भी मालूम होगा कि हम लोगों की जो मंशा है कि नरेगा का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिनके हाथ में काम नहीं है, हमारी यह मंशा पूरी नहीं हो रही है। इतना महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यब्रह्म उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जहां इसे पहुंचना चाहिए। बिचौलिए पैसा खा रहे हैं और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार इतनी बड़ी योजना को चलाने के लिए जो प्रशासनिक बैकबोन चाहिए, उसे सादृढ़ करने के लिए कोई कदम उठा रही है या नहीं? हूँ उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक जिला में औसत ढाई सौ या पौने तीन सौ पंचायत होती हैं। इस योजना को चलाने के लिए आज जो प्रशासनिक रीढ़ बनी हुई है, कलेक्टर के हाथ में इसे दिया गया है, जिसके पास अनेक काम हैं। इसलिए नरेगा का काम ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जब तक केंद्र सरकार वहां सीनियर आफिसर्स को तैनात नहीं करेगी, पूरी तरह से वहां प्रशासनिक रीढ़ नहीं बनाएगी, तब तक इस योजना को कारगर रूप से चलाना मुश्किल होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि क्या केंद्र सरकार इस बारे में विचार कर रही है, क्योंकि मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो प्रावधान हैं जैसा कि जो काम करने का इच्छुक है, वह लिख कर ग्राम पंचायत को लिख कर दे।

मंत्री जी आप भी ग्रामीण इलाके से आते हैं, अगर वे इतने पढ़े-लिखे हों कि वे ग्राम पंचायत में लिख कर दें और अपना हक मांगें, तब तो कोई बेंत ही नहीं थी। इसके जो प्रावधान हैं, उन्हें बारीकी से देखने की आवश्यकता है। जब तक इन्हें हम सरल नहीं करेंगे, इन्हें ठीक नहीं करेंगे और प्रशासनिक बैकबोन को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारी और आपकी जो मंशा है कि ज़मीनी रूप से यह योजना कारगर सिद्ध हो, वह पूरी नहीं हो सकती है।

**डा. सी.पी.जोशी :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। हम सब का कर्तव्य बनता है कि इस योजना का लाभ गरीब आदमी को मिले। मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपना एक प्रतिनिधि चुनकर हमें बताएं, अगस्त के आखिरी दिनों में उसके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद कैसे इस योजना का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन कर सकेंगे, इस बारे में उनसे राय लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने

जो चिंता व्यक्त की है, वह चिंता हम सबकी है और हम सब मिलकर इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करें और आप आगे आ कर हमारी मदद करें, जिससे सरकार आपके फीड बैक के उपयोग से निर्णय कर सके।

**श्री उदय सिंह :** अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी की इस बेंत का स्वागत करता हूं। हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे, क्योंकि हम सबकी मंशा एक ही है।

महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बैंकों की वजह से, बैंक के जो कर्मचारी हैं, वे एक तरह से ब्रोकर बन गए हैं, दलाल बन गए हैं और जिन लोगों को नरेगा के पैसे मिलने चाहिए, उन लोगों के हाथ में पैसे न जाकर, जो बिचौलिए हैं, उनके हाथ में पैसा जाता है। जो काम करते हैं या जिन्हें काम मिलना चाहिए, उन्हें पैसा नहीं मिलता है। इत्तेफाक से या मेरी खुशकिस्मती है कि वित्त मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं और साथ ही सरकार से पूछना चाहूंगा कि यूआईडी जब बनेगी या जब आएगी, तब आएगी, अगर बायोमैट्रिक्स का एक कार्ड हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, उन्हें अगर दे दिया जाए, तो वे बहुत सहूलियत से इन पैसों को निकाल सकते हैं और इस पैसे की छीना-झपटी नहीं होगी। मैं बताना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि बैंक में दलाल बाहर ही बैठे होते हैं, जैसे ही पैसे निकाल कर वह मजदूर बाहर निकलता है, उसके हाथ से पैसे ले लिए जाते हैं। ऐसा ज़मीनी रूप से हो रहा है। अगर बायोमैट्रिक्स कार्ड या किसी तरह का एटीएम कार्ड उन्हें दे दिया जाए, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस बैंक से चाहे वे पैसा निकाल सकते हैं। हम सबकी जो मंशा है कि उस गरीब के हाथ में दो पैसे आए, तभी हमारी यह मंशा पूरी हो सकती है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरफ सरकार का ध्यान है और क्या इस संबंध में सरकार कुछ करना चाहती है?

**व. सी.पी.जोशी :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की बेंत से मैं सहमत हूं। बायोमैट्रिक्स भी एक तरीका हो सकता है, जिससे सही आदमी को पैसा मिल सके। बायोमैट्रिक्स का या दूसरा जो तरीका है, बिजनेस कोरेसपोडेंट का, इन सब बेंतों पर चर्चा करके, जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप सुझाव दें, हम इसे इम्पूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि बायोमैट्रिक्स के माध्यम से भी उस गरीब आदमी को, जो उसका अधिकार बनता है, उसे उसकी पेमेंट मिल सके। इन सुझावों के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।



MADAM SPEAKER: Shri M. Sreenivasulu Reddy – Not present.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam, my question to the hon. Minister is whether the State Governments remain answerable to the Government of India if any State fails to achieve its target that was fixed up for implementation. In addition, what is the status and rank of Government of West Bengal so far as its target is fixed up in regard to the question of implementation of NREGS?

DR. C.P. JOSHI: Madam, the hon. Member may kindly remember that there is no question of targets in NREGA. It is a demand driven scheme. There is no target aspect here. But as I have told you, we are seized of the problem. I invite the hon. Member to come in the meeting and give his suggestions. We want to implement it effectively in the rural areas because we want that the benefit goes to the poorest of the poor.

I repeat it that I am inviting all the leaders to send one delegate in the meeting. We will discuss with them and see to it that this scheme is implemented in the right spirit.

**श्री तूफ़ानी सरोज :** अध्यक्ष महोदया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट 21 मार्च 2008 में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, नरेगा का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गरीब परिवारों को गारंटी शुदा काम नहीं दिया गया, मजदूरी का फर्जी भुगतान किया गया, भुगतान में अनावश्यक देरी की गई। यही नहीं, योजना के अनुमोदन में 6 से 11 महीने की देरी हुई, मास्टर रौल में ऐसे लोगों की मजदूरी का भुगतान किया गया जो उस गांव के नहीं थे। मैं अध्यक्ष महोदया के माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सीएजी की इस रिपोर्ट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में नरेगा के क्रियान्वयन में बरती गई अनियमितताओं की जांच कराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**डा. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, मैंने कहा कि जो योजना प्रारम्भ हुई, उसमें शिकायतें आई हैं और एक्ट के प्रोविजन्स के अनुसार चूंकि उन शिकायतों को राज्य सरकार को ही एड्रेस करना है, This is the pre-requisite of the federal structure. पर जैसा मैंने आपको कहा कि जहां-जहां भी... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** उनको पहले उत्तर देने दीजिए। आप उत्तर पूरा करने दीजिए। आप बैठ जाए, आप शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

**डा. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, पञ्चैतरल स्ट्रक्चर में कुछ फंक्शन्स स्टेट गवर्नमेंट के हैं और कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं। पंचायती राज राज्य का विषय है। Panchayati Raj is a State subject and employment is in Concurrent List. कुछ बेंतें हमें संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत करनी हैं। यह बेंत सही है कि भारत सरकार पैसा दे रही है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। जैसा मैंने कहा कि सबकी राय लेकर उसमें जो इम्प्रूव करने का काम है, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो इस समय की स्थिति बनी हुई है, उसकी जानकारी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जहाँ पर भी हमें एफआईआर दर्ज करने का मौका मिला है, हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जो नियम और कानून के अन्तर्गत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई और प्रदेश हो, जहाँ से शिकायत आती है, वहीं उनको एड्रेस कर रहे हैं।...(व्यवधान)

**श्री गोरखनाथ पाण्डेय :** अध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक तो ग्रामीण अंचलों में जो इसका वास्तविक स्वरूप है और जो वहाँ इसका लाभ पहुंचाना चाहिए, जो निचले स्तर तक मजदूरों तक मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। उसमें कई तरह की धांधली है, जैसा कि मुझसे पहले के वक्ता ने कहा। उनकी बेंतों से सम्बद्ध करते हुए मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि एक कमेटी बना दें या कोई प्रतिनिधि सांसद बना दें, क्या ऐसी कमेटी आप बनाएंगे जिसमें सांसद को ही प्रतिनिधि बनाएंगे और उसकी जानकारी निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक जिससे गांवों में जो निचले स्तर तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है और जो नरेगा का असली स्वरूप ग्रामीण अंचलों तक जाना चाहिए, वह नहीं जा पा रहा है, उसे लागू करने के लिए क्या सांसदों को उस कमेटी में प्रतिनिधि के रूप में आप बनाएंगे जो ग्रामीण स्तर की जानकारी रखें जिससे जो धांधली हो रही है, उसको रोका जा सके और जो नरेगा का वास्तविक स्वरूप है तथा जो सरकार की भी मंशा है कि ग्रामीण स्तर तक मजदूरों को लाभ मिले जिससे जो बेरोजगार हैं, जिनका जीवन-यापन नरेगा से ही संबंधित है, उनको वह लाभ मिल सके। क्या इसके लिए आप कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे?

**डा. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, रूरल डवलपमेंट की सारी स्कीम्स को मोनीटर करने के लिए माननीय सदस्यों को उसका चेयरमैन बनाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। शीघ्र ही हम उसके बारे में आदेश प्रसारित करेंगे जिससे वे अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से कर सकें ।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में नरेगा योजना पूरी तरह असपड्डल हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो दिशानिर्देश बनाए हैं, उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जैसा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने इन योजनाओं के प्रपोजल्स के बारे में जो सर्कुलर भेजे हैं, उनमें यह सुझाव दिया है कि 80 परसेंट प्रपोजल वाटर कन्जर्वेशन के हों। मैं कोंकण क्षेत्र से आता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, यहां वाटर कन्जर्वेशन के लिए केवल नरेगा से यदि कोई योजना बनाते हैं तो यह योजना पूरी तरह से विपड्डल होती है क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है, यहां टीले हैं। अगर यहां मिट्टी का गड्ढा खोद भी देते हैं तो उसमें पानी रुकता नहीं है। इस तरह से सारा धन मिट्टी में मिल रहा है इसलिए हमारे क्षेत्र से इस प्रकार के प्रपोजल नहीं आ रहे हैं। यह योजना महाराष्ट्र में लगभग पूरी तरह से असफल है। इसका एक और कारण है कि इस योजना को बनाते समय दो कम्पोनेंट पर विचार किया गया — एक 60 परसेंट लेबर और दूसरा 40 परसेंट मैटरियल। इसमें मशीनरी का कोई प्रावधान नहीं है। मैं इस बैत को इसलिए आपके माध्यम से सदन और मंत्री जी के सामने रख रहा हूँ, मान लीजिए हमने इस योजना के तहत एक सड़क बनाते हैं तो हम उस सड़क पर रोलेर नहीं चला सकते। यदि हम रोलेर नहीं चलाते हैं तो पहले ही वह सड़क बारिश में ही बह जाती है, टूट जाती है। इस कारण दिशानिर्देश में चेंज करने की जरूरत है जिसमें 40 परसेंट लेबर, 40 परसेंट मैटरियल और मिनिमम 20 परसेंट मशीनरी का प्रावधान होना चाहिए। मान लीजिए हमें कुआं खोदना है, कुआं खोदते समय मिट्टी तक खुदाई करते हैं लेकिन जब पत्थर आ जाता है तो हम उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि हम वहां सुरंग नहीं बना सकते। इस प्रकार से यह सारा धन मिट्टी में जा रहा है, योजना असपड्डल हो रही है। इस योजना के दिशानिर्देश को बदलने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में मंत्री जी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा के सारे सदस्यों के साथ राज्यवार बैठक बुलाकर इस प्रकार के दिशानिर्देश के बारे में पुनर्विचार करना चाहते हैं?

**डा. सी.पी.जोशी:** माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम इस संबंध में अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। मैं एक बैत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह योजना मैनुअल वर्क के लिए है। यदि हम इसे सप्लीमेंट डेवलपमेंट के साथ करना चाहते हैं तो इसमें अलग-अलग योजना का पैसा डाउटेल करने की परमिशन है। इस डाउटेल के पैसे में आप मशीन का उपयोग करना चाहते हैं तो करें। इस योजना में मशीन का उपयोग करने का कोई उद्देश्य नहीं है और न ही हम इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम यह काम गरीब आदमी को मदद देने के लिए कर रहे हैं।...(व्यवधान)

**श्री तूफानी सरोज :** हमारे यहां मशीन से काम हो रहा है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। आप उत्तर सुनिए।

... (व्यवधान)

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** वहां सही काम नहीं हो रहा है।... (व्यवधान) इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।... (व्यवधान)


**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। आप पूरा उत्तर सुनिए।

... (व्यवधान)

**डॉ. सी.पी.जोशी:** अध्यक्ष महोदया, इस योजना में मशीन के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। डाउटेल करने में जो सरकार पैसा लगाना चाहती है, वह डाउटेल करने में मशीन का पैसा लगाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यह योजना गरीब आदमी की मदद के लिए है, मैनुअल वर्क के लिए है। हमने एक काम जरूर किया है कि अब इसका स्कोप बढ़ाकर मार्जिनल और स्माल फार्मर्स को भी इस योजना के साथ जोड़ा है ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। हमने यह काम आगे बढ़कर किया है लेकिन मशीन का कोई विचार नहीं है।

**DR. K.S. RAO :** Madam Speaker, the entire House is unanimous that NREGA is one of the best schemes, but the alarm from all the Members is only as to how it is being implemented. I am also of the opinion that allocations are made to each district in a large amount. The hon. Minister has added the roads, the water bodies, agriculture etc. in it which is good thing, and also at least 40 per cent of the material component is being permitted in it apart from the labour. I would just like to bring it to the knowledge of the hon. Minister that Vigilance Committee is existing there now under the chairmanship of the local Member of the Parliament.

I wish to know from the hon. Minister whether a large responsibility will be put on the Member of Parliament so that the allocation is utilized properly instead of leaving it once again to the State authorities, the local Deputy Chairman, etc. by which a clear responsibility is not forthcoming.

Secondly I would like to know from the hon. Minister – this is a request – whether he will permit the operations only during the lean period. During the farm  season, there is acute shortage of labour in some of the wet land areas; during that time they will get wage more than Rs.100/- and so, they will not be interested. If

at all, during that season, there is an expenditure shown under NREGA, it is all bogus expenditure. So, I wish to know from the hon. Minister whether he will give a guideline that this NREGA programme should be implemented only during the lean farm season and preferably in dry land areas.

DR. C.P. JOSHI: Madam Speaker, it is the choice of the individual; at what time he wants to use this opportunity. I would like to tell that it is his choice. You cannot ask him to work only during the lean season. But I can assure you that that person is well aware about this; at what time he wants to use it; and he can use any 100 days out of 365 days. So, we cannot impose this condition on the individual.

SHRIMATI MANEKA GANDHI : Madam, in my constituency, as in most constituencies in Uttar Pradesh, NREGA has been used simply to dig the *gaddas*, then fill the *gaddas*, then dig the *gaddas* and fill the *gaddas*. Many other Members of Parliament have also asked this question. Is it possible to have a monthly meeting with the Member of Parliament heading it in each constituency so that we can actually see what is happening? Otherwise, since your scheme is simply, according to you, to put money into the hands of the poor, why not let them sit at home and just give them the same amount of money instead of digging the *gaddas* all over the place, which has no meaning at all. The Member of Parliament and Members of the Legislature, whoever they are, can sit at a meeting monthly with the local bureaucrats to see what is important for that constituency and arrive at a consensus, and see that it is done like that. In that way, money is also spent and work is also done. यहां केवल मिट्टी की सड़कें बन रही हैं या जमीन पर खड्डे बन रहे हैं। There is no third thing in Uttar Pradesh.


डा. सी.पी.जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस एक्ट में दो बेंचें बहुत सिम्पल हैं और हमने शेड्यूल – 1 में प्रॉयोरिटी पर काम आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मैं समझता हूं कि वहां सरकारें क्यों प्रॉयोरिटी पर काम नहीं ले रही हैं क्योंकि जो काम शेड्यूल में लिखे हुए हैं वे तो लिखे ही हुए हैं। It says: “Water conservation and water harvesting are the first priority. Then, drought proofing is the second priority. Irrigation canal including micro and minor irrigation is the

third priority. Provision of irrigation facility to land owned by household belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is the fourth priority. Renovation of traditional water ....”

These are the guidelines given to the State Government. This is the function of the State Government. They should adhere to it. If, unfortunately, they are not doing, we will have to discuss it and we will have to evolve a system. I can only do this much.

**(Q. No. 483)**

**श्री अनंत कुमार हेगड़े :** माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार ने मान लिया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि जनवरी 2008 और सितंबर 2008 के बीच 20 प्रतिशत से कम होकर अक्टूबर 2008 से जून 2009 के बीच 9 प्रतिशत हो गई थी। मेरी जानकारी के अनुसार सीआरआर में मैकेनिज्म करके लगभग 3,80,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का बैंकिंग सैक्टर में प्रावधान किया गया था ताकि देश में उत्पादन में वृद्धि हो। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने सीआरआर द्वारा बैंकिंग सैक्टर में निधि का प्रावधान किया है, इसके बाद क्या क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोत्तरी हुई है? अगर हुई है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेनिंग में सैक्टरवाइज क्या बढ़ोत्तरी हुई है?

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** Madam, the fact is that when the industrial crisis engulfed the developed countries and the financial meltdown became a major financial crisis all over the world, it had its adverse impact. Credit is required for investment, for carrying business and for using it for productive purpose. Those activities are reduced during the period which the hon. Member referred to. Yes, it is correct that we felt the  impact of the world financial crisis from September onwards. During the period between October, 2008 and January, 2009, this impact continued. It continued even up to June, 2009. Still, it is continuing in certain sectors. Naturally, the credit requirement of those sectors have come down.

The hon. Member would notice that along with the text of the written answer, I have given two important statements in Annexure I and Annexure II, which indicate the growth in outstanding bank credit in regard to Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and all Scheduled Commercial Banks (including Regional Rural Banks). In Annexure I, we have given the month-wise credit movement from 18<sup>th</sup> January, 2008 to 19<sup>th</sup> June, 2009. In the consolidation, which we have made at the bottom of the statement, you would find that these periods have been segmented where the worst impact on economy was there.

In respect of the sector-wise requirement, which the hon. Member asked for, I have given the data in Annexure II. Five major sectors have been identified

there where we have given the figures and statistics in regard to Agriculture and Allied Activities, Industry (Small, Medium and Large), Service sectors, Personal sectors, Total Non-Food Gross Bank Credit and Priority Sector credit. These figures have been given in Annexure II. There too, if you go into the consolidation, you would find that in the relevant period, the growth has been substantially lowered. The growth rate in regard to Agriculture and Allied Activities, was 11.62 per cent in May, 09 over October, 08; in regard to Industry, it was 5.93 per cent; and in regard to Service sector, it was 7.72 per cent in May, 09 over October, 08. But if you come to the growth figures between May, 07 and May, 08, you would find some improvement. About the growth rate figures in May, 09 over May, 08 (Year on Year basis), you would find that 23.60 per cent was the growth rate in regard to Agriculture and Allied Activities. Similarly, in regard to Industry, the growth rate in May, 09 over May, 08 was 23.90 per cent; in regard to Service sector, it was 23.90 per cent; and in regard to Personal Loans, it was 13.80 per cent. But the period from May, 09 over October, 09 was the worst period. During this period, in Agriculture and Allied Activities, Industry and Service sectors, there has been an adverse impact.

**श्री अनंत कुमार हेगड़े :** महोदया, इसीलिए मैं प्रश्न पूछा था कि सी.आर.आर. द्वारा इतनी निधि का प्रावधान करने के बावजूद भी क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ नहीं पाया, फिर इतनी धनराशि कहां गई? हमने सी.आर.आर. द्वारा जो मैकेनिज्म किया था, उसका क्या मतलब निकला? यह मैं जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने मान लिया है कि इसके बावजूद भी क्रेडिट ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे देश के अधिकतर किसानों में 80 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और इंडस्ट्रीज सैक्टर में भी स्माल इंडस्ट्रीज के लोग बहुत ज्यादा हैं। इन छोटे किसानों और स्माल इंडस्ट्रीज सैक्टर के क्षेत्रों में वृद्धि लाने के लिए बैंकों द्वारा क्या निर्देशन दिये गये थे?

यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया? जैसा मंत्री जी ने पहले बताया कि सी.आर.आर. द्वारा प्रावधान करने के बावजूद भी...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर सुनिये।

**श्री अनंत कुमार हेगड़े :** अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई?





SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, the hon. Member is missing the main point which I tried to point out that it is not that there has not been any increase. You look at the entire economic scenario vis-à-vis credit. In the first half of the previous year, 2008-09, we had a situation where the rate of inflation was very high. It was double digit. Naturally, we had to resort to tightening the credit policy. As a consequence to that, the liquidity was not made available. The impact of the world financial crisis started from the month of September, and thereafter two stimulus measures were taken where the fiscal concessions were there. But I am not coming to that. Those things were discussed in detail during the Budget.

But the Reserve Bank of India, through the Monetary Policy, by adjusting the CRR and SLR made liquidity available to the banking sector so that the banking sector can meet the credit requirements of the non-food credit sector as per the priority given for agriculture. Priority is given to small and medium industries. Priority is given to other sectors, including housing. But there must be takers. Initially, there was an uncertainty.

As a consequence to that, practically for a period of almost nine months, for instance, even today, the export is coming down. Manufacturing sector has started coming up only in the months of May and June. Therefore, prior to that period, from September, 2008, there must be a slow down of the credit, and the entire liquidity available to the banking sector could not be utilized fully. Therefore, the economy has started moving slightly. But still I am not quite sure because the other problem may come from the adverse impact of scanty rainfalls. My colleague, the Agriculture Minister is making the assessment. We are also making the assessment but this is a problem and this problem is a reality. We are trying to handle it. But we cannot explain. Movement of the economy is not just like, 'switch off or switch on'. Even if we take action today by adjusting the credit policy, it will take some more time to get its full impact on the overall economy.

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** अध्यक्ष महोदया, मैंने यह प्रश्न बजट के समय भी उठाया था। मैं यह देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी बहुत बड़ी डिपॉज़िट्स गवर्नमेंट पेपर्स में हैं। Huge

borrowing programme of the Government in 2008-09 increased by Rs.2,00,000 crore and in 2009-10, it is bound to increase by Rs.3,50,000 crore or Rs.4,00,000 crore. Now when you borrow heavily, then the liquidity goes to you. Therefore, the interest rate becomes higher.

तो उससे मध्यम और लघु उद्योग के लोग हैं, उन्हें जो ऋण मिलना चाहिये, उसकी दर सस्ती नहीं हुई है। मेरे सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि बैंक्स के इंटरैस्ट रेट्स, लेंडिंग रेट्स कम होने चाहिये, खासतौर पर इन लोगों के लिये। क्योंकि अगर गवर्नमेंट पेपर्स में ही मनी डिपॉजिट होता रहा, एट टू नाईन फोल्ड्स हो गया। इस साल जून के अंत में मैंने देखा deposit in the Government papers has gone up to eight to nine folds. तो इससे इंडस्ट्रीज की फटींग दूर नहीं होगी। एक तरफ आप चाहते हैं कि मनी वहां पम्प करें और इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें लेकिन दूसरी तरफ मनी आपके पेपर्स में डिपॉजिट है। फिर एक तमाशा और है कि बैंकों का प्रॉफिट बहुत बढ़ा है। प्राइवेट सैक्टर के बैंकों का प्रॉफिट पिछले साल 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में 21 परसेंट बढ़ा है जबकि फॉरेन बैंकों का प्रॉफिट 35 परसेंट बढ़ा है। फॉरेन बैंकों की आमद कम हो गई है। The inflow from foreigners has reduced.

तो ऐसी दशा में आप कैसे बैलेंस करेंगे? That roadmap appears to be going awry. वह लगता नहीं कि ठीक चलेगा। It is because you have heavy money with you; banks are giving to you and the industry is suffering. So, with the onslaught of monsoon and everything which you find, how are you going to manage all these things?

So, I may ask you what your roadmap now is for giving a stimulus to the manufacturing sector, to the small-scale and medium sector, which is the backbone of the economy under the domestic market.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, these are broad policy matters and definitely, these issues were raised during the discussion on the Budget. Hon. Member had initiated the discussion on Budget and many of these issues were also referred to. I also responded to them.

I have never claimed that it will not raise certain critical issues, but the option was also very limited. The option was just to have and settle with the slow growth rate or to make an attempt by expanding and creating the fiscal space by

larger borrowings to give momentum to the growth. This has paid divided to some extent, as you have noticed. If you look at, I can share with the hon. Member, the growth scenario which has been projected. Our growth scenario for the year 2008-09 was projected to be 5.4 per cent, but we have settled with 6.7 per cent. How could we achieve it? We could achieve it because of the stimulus which we provided, but that did not mean that all the problems of the industry were taken care of by one go.

The movement was very slow and the hon. Member is absolutely correct that at the initial stage when the banks were flushed with liquidity, they thought that it would be better for them to earn some interest on the Government securities as industry, the manufacturing sector was feeling shy of drawing credit, as exports sector was feeling shy of drawing credit. Therefore, they just transferred that money to the Government securities. There is no doubt about it. That is why, the Government borrowings also increased last year, 2008-09, by nearly Rs. 2 lakh crore additional from Rs. 1.23 lakh crore. This year, I have already projected in the Budget that it may be around Rs. 3.5 lakh crore to Rs. 4 lakh crore. But the question is whether it will be elbowing out the genuine credit requirement of the private sector including the small and medium sector. My respectful submission is that that is the balancing act which the Government will be doing in consultation with the Reserve Bank of India, and the borrowing programme will be adjusted in such a manner that the private sectors are not elbowed out of the market.

SHRI A. SAMPATH : Madam, I would like to get a point cleared from the hon. Finance Minister. We all know that the credit-deposit ratio is coming down. From some States, millions of people have gone abroad for earning their livelihood and they are sending back the precious foreign exchange. States like Kerala are getting more than seven times the total budgetary allocation the Union Government makes to the State.

Quite recently, we have given directions to the various banks to give adequate educational loans to the students. It is a new phenomenon and it must be

encouraged also. But through you, Madam, I would like to get a point cleared from the hon. Finance Minister. In some States, there are differences in the fees for the same course itself. For example, there are self-financing colleges. The Government fees will be very much lower while at the same time, in respect of seats which the management offers, the fees will be much higher. Quite recently, it has come to the knowledge of our hon. Members also ....

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRI A. SAMPATH : I am coming to the question.

It has been put to our knowledge also that the banks are now hesitant to give educational loans as per the demand of the students. So, if it has come to the notice of the hon. Finance Minister also, I would like to know what measures can be taken to help the students, who are studying in the professional colleges especially the self-financing colleges, to give loans to satisfy their needs regarding their studies, to remit fees etc. That is my question.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : This particular Question is related to the growth of credit and the variation of credit in various sectors of the banks. But as the hon. Member has raised the issue and I know about the subject, so I will respond to it.

As far as the educational loan facilities to the students are concerned, the scheme has been picked up, and the figure, which I got for the last financial year, is that more than 15 lakh students availed of the opportunities. I can give you a macro figure, and I cannot give you the bank-wise, college-wise micro figures as it is not possible for me. Nearly, 15 lakh students availed of the Rs. 26,000 crore, and during this Budget also I have extended the facilities not only for higher degrees, but even for vocational training and courses the students will be entitled to have the loan facilities from the banks. If there is any aberration or if some complaints come to the notices of the hon. Members, then there is always a set grievance redressal mechanism in the banks, in the States, in the district-level, and the help of those mechanisms can be resorted to.

(Q.No. 484)

SHRI NITYANANDA PRADHAN : Madam Speaker, the hon. Minister has projected his figures for the all-India level, but I want to specifically know from the hon. Minister about the renewable energy. Is it actually working in the rural areas? I am asking this because I have seen that the mechanism fails in many of the rural areas -- where this system has been introduced -- within a few months itself. Thereby, the people are deprived of getting electricity.

On the other hand, the Government is losing money, and the Government is simply satisfied with the figures that they have constructed so much of generating units. Therefore, I want to know this from the hon. Minister. Is there any follow-up action with regard to the renewable energy institutions? Can the target, which he has fixed up, be met? I am asking this because I have seen in many of the villages in my State of Orissa that the targets have not been fulfilled. It is evident from the *Economic Survey* of the Government of India also. Therefore, I want to know this from the hon. Minister. Will he take necessary steps for follow-up action? By what time will he be able to complete or finish the projected figures under the Village Electrification Programme?

DR. FAROOQ ABDULLAH : Madam Speaker, the studies covered 99,908 home lighting systems power supplied by SPV power plants; 615 street lights; 91 solar lanterns; 8 SPV pumps in various villages and hamlets in Assam, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Manipur, Meghalaya, Rajasthan, Uttarakhand, and West Bengal under the Ministry's Remote Village Electrification (RVE) Programme. The function varied from 70 per cent of street lighting system to 100 per cent SPV pumps.

A study of 250 solar cookers in Gujarat, Haryana, Rajasthan, and Uttarakhand has revealed that 85 per cent beneficiaries were using solar cooker regularly for cooking their meals. The Integrated Research and Action for Development (IRADE), New Delhi; the National Council of Applied Economic

Research (NCAER), New Delhi; and the National Productivity Council (NPC), New Delhi carried out these studies in 2007-2008 and 2008-2009.

The point is that our Ministry is trying its best to see that we are able to approve the projects sent to us by the State Governments. Thereafter, it is for the State Governments to carry them out. The reports that we get is that they are all functioning up to 85 per cent, and somewhere they are functioning up to 96 per cent.

But I hear from the Member of Parliament here that in his State of Orissa, the functioning is not that good. I would be very grateful if the hon. Member of Parliament could write to me and tell me of the areas where he finds they are not functioning, I will have that looked into. Since I am going to these Governments and seeing the Chief Ministers personally, I would like to put it before them that here is a situation where the Members of Parliament have reported that what we have put into your States are not functioning. Therefore, we have to have bilateral action between you and the Ministry if you want that this system should get on.

One of the things which I would like to put before this House is that the Solar Mission that has just been approved by the Prime Minister's Council on Climate Change will be one that will really transform our country, as far as this energy is concerned. As soon as the things that were brought up in the meeting of the Prime Minister's Council on climate change are incorporated into the Solar Mission Document, I am sure that will be brought before this House, and you all Members will know of the activity that this Ministry is going to do. Solar Mission is one of the most important sectors of our Government.

---

**12.00 hrs.**

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

MADAM SPEAKER: Papers to be laid, Dr. C.P. Joshi.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (DR. C.P. JOSHI): I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005:-

- (i) S.O. 2999(E) published in Gazette of India dated the 31<sup>st</sup> December, 2008, making certain amendments in the Schedule II of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.
- (ii) S.O. 513(E) published in Gazette of India dated the 19<sup>th</sup> February, 2009, making certain amendments in the Schedule II of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.
- (iii) S.O. 1387(E) published in Gazette of India dated the 1<sup>st</sup> June, 2009, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1(E) dated the 1<sup>st</sup> January, 2009.
- (iv) S.O. 1824(E) published in Gazette of India dated the 24<sup>th</sup> July, 2009, making certain amendments in the Schedule I of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

(Placed in Library see No. LT 673/15/09)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 33 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005:-

- (i) The National Rural Employment Guarantee (Central Council) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 134(E) in Gazette of India dated the 27<sup>th</sup> February, 2009.

- (ii) The National Rural Employment Guarantee (Central Council) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 309(E) in Gazette of India dated the 5<sup>th</sup> May, 2009.

(Placed in Library see No. LT 674/15/09)

- (3) A copy of the Notification No. G.S.R. 162(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 12<sup>th</sup> March, 2009, nominating the members, mentioned therein, on the Council under clause (c) of sub-section (3) of Section 10 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 issued under Section 10 of the said Act.

(Placed in Library see No. LT 675/15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, New Delhi, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, New Delhi, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library see No. LT 676/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National School of Drama, New Delhi, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.



(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National School of Drama, New Delhi, for the year 2007-2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library see No. LT 677/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Zone Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2007-2008.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library see No. LT 678/15/09)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2007-2008.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2007-2008.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library see No. LT 679/15/09)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2007-2008.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2007-2008.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library see No. LT 680/15/09)

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, on behalf of my colleague, Shrimati D. Purandeswari, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Silchar, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Silchar, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library see No. LT 681/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Central Cottage Industries Corporation Limited and the Ministry of Textile for the year 2009-2010.

(Placed in Library see No. LT 682/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export-Import Bank of India for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export-Import Bank of India for the year 2008-2009.

(Placed in Library see No. LT 683/15/09)

- (2) A copy of the Notification No. G.S.R. 551(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 27<sup>th</sup> July, 2009, exempting from service tax, service provided or to be provided in relation to management, maintenance or repair of roads under sub-section (4) of Section 94 of the Finance Act, 1994, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library see No. LT 684/15/09)

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the Industrial Development Bank of India, Mumbai, for the year 2007-2008.
- (ii) Annual Report of the Industrial Development Bank of India, Mumbai, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.

(Placed in Library see No. LT 685/15/09)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, on behalf of my colleague, Shrimati Preet Kaur, I beg to lay on the Table a copy of the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Amendment Order, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 1661(E) dated 8<sup>th</sup> July, 2009 issued under Section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947.

(Placed in Library see No. LT 686/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on behalf of my colleague, Prof. K.V. Thomas, I beg to lay on the Table a copy of the Organic Agricultural Produce Grading and Marking Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. 534(E) in Gazette of India dated the 18<sup>th</sup> July, 2009 under sub-section (3) of Section 3 of the Agricultural Produce Grading and Marking Act, 1937.

(Placed in Library see No. LT 687/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of Energy efficiency, New Delhi, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of Energy efficiency, New Delhi, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library see No. LT 688/15/09)

- (3) A copy of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. L-7/165(180)/2008-CERC in Gazette of India dated the 2<sup>nd</sup> June, 2009 under Section 179 of the Electricity Act, 2003.

(Placed in Library see No. LT 689/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on behalf of my colleague, Shri Dinesh Trivedi, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library see No. LT 690/15/09)

- (3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Indian Red Cross Society for the years 2004-2005 to 2007-2008 and Annual Reports and Audited Accounts of five other organisations, mentioned therein, for the year 2007-2008 within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

(Placed in Library see No. LT 691/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
  - (i) Review by the Government of the working of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited for the year 2007-2008.

- (ii) Annual Report of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited for the year 2007-2008, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library see No. LT 692/15/09)

---

**12.03 hrs.**

**STATEMENT BY MINISTERS**

- (i) **Status of implementation of the recommendations contained in the 40<sup>th</sup> and 41<sup>st</sup> Reports of the Standing Committee on Railways on “Review of Plan Performance and 11<sup>th</sup> Five Year Plan Projections” and “Review of Special Railway Safety Fund”, respectively, pertaining to the Ministry of Railways.**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIAPPA): Madam, on behalf of my senior colleague, Kumari Mamata Banerjee, I beg to lay on the Table a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 40<sup>th</sup> and 41<sup>st</sup> Reports of the Parliamentary Standing Committee on Railways in pursuance of directive 73A, of the hon. Speaker, Lok Sabha, issued vide Lok Sabha Bulletin, Part-II, dated 1<sup>st</sup> September, 2004.

The 40<sup>th</sup> Report of the Committee on “Review of Plan Performance and 11<sup>th</sup> Five Year Plan Projections” presented in the Lok Sabha on 21.10.2008 contained 17 recommendations and Action Taken Notes thereon were furnished to the Committee on 23.02.2009 (English version) and on 27.03.2009 (Hindi version). The 41<sup>st</sup> Report of the Committee on “Review of Special Railway Safety Fund” presented in the Lok Sabha on 23.12.2008 contained 5 recommendations and Action Taken Notes thereon were furnished to the Committee on 13.03.2009 (English version) and on 01.04.2009 (Hindi version).

Statements showing details of all the recommendations contained in the Reports and implementation status thereof are enclosed. Since the statements are voluminous, I request that the same may be taken as read.

(Placed in Library see No. LT 693/15/09)

---

**12.03½ hrs.**

- (ii) **Status of implementation of the recommendations contained in the 198<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Industry on Action Taken Report on Professionalization of Boards of CPSEs, pertaining to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.**

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI VILASRAO DESHMUKH): Madam, I beg to lay on the Table of the House a statement regarding status of implementation of the 198<sup>th</sup> report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Industry on Professionalization of Boards of CPSEs pertaining to Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises) in pursuance of the direction issued by the hon. Speaker, Lok Sabha, vide Parliamentary Bulletin – Part II, dated 01.09.2004.

(Placed in Library see No. LT 694/15/09)

---



**12.04 hrs.**

- (iii) **Status of implementation of the recommendations contained in the 207<sup>th</sup> report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2008-09) (Demand No. 58), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.**

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, in pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha issued by the hon. Speaker, Lok Sabha, *vide* Lok Sabha Bulletin Part-II dated September 1, 2004, I beg to lay a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the Two Hundred Seventh Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Human Resource on Demand for Grants 2008-09 (Demand No. 58) of the Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development).

The Standing Committee on HRD examined the Demands for Grants 2008-09 (Demand No. 58) of the Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development) and presented their Two Hundred Seventh Report to Lok Sabha on 15<sup>th</sup> April, 2008.

I beg to lay herewith the status of implementation/Action Taken Note on the recommendations made in the 207<sup>th</sup> Report on the Table of the House.

(Placed in Library see No. LT 695/15/09)



**12.05 hrs.****WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 2009\***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): Madam, on behalf of my colleague Shri Mallikarjun Kharge, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923.”

*The motion was adopted.*

SHRI HARISH RAWAT: I introduce the Bill.

**12.05½ hrs.****EMPLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 2009\***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): Madam, on behalf of my colleague Shri Mallikarjun Kharge, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948.”

*The motion was adopted.*

SHRI HARISH RAWAT: I introduce the Bill.

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 07.08.09

**12.06 hrs.**

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS (AMENDMENT) BILL, 2009\***

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004.”

*The motion was adopted.*

SHRI KAPIL SIBAL: I introduce the Bill.

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 07.08.09

MADAM SPEAKER: The House shall now take up Matters of Urgent Public Importance.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, may I make a submission before that?

MADAM SPEAKER: Just a minute. The Minister has to say something.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The submission is related to the House.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, today is the last day of the House and we are adjourning *sine die* today. My request to you and also to all the hon. Members would be that from now onwards up to 1.00 p.m., you may take up the 'Zero Hour' matter and at 2.00 p.m. we may have the reply of the Minister of Agriculture to the debate on Price Rise. After that we may adjourn the House and we dispense with the Private Members' Business.

MADAM SPEAKER: If the House agrees, we may do that.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: The Half-an-Hour Discussion listed for today stands postponed to the next session of the House. If the House agrees, it may be taken up in the first week of the next session.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

अध्यक्ष महोदया : हमने अभी किसी का भी नाम नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे शून्य प्रहर कैसे चलेगा?

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष महोदया, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सभी का महत्वपूर्ण विषय है, आप बारी-बारी से बोल लीजिए।

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप जरा शांति रखिए, हम सब को बुलाएंगे।

**श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):** मैडम, आपने बुलाने के लिए मना कर दिया, इसलिए ये खड़े हुए हैं।... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** हमने किसे बुलाने के लिए मना कर दिया?

... (व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** आपने उनका नोटिस ही इनएडमिसिबल कर दिया। वे दो दिन से नोटिस दे रहे हैं और दोनों दिन इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, लेकिन आपने नोटिस को ही इनएडमिसिबल कर दिया, इसलिए वे खड़े हुए हैं।... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि हमने इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया।

... (व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** अध्यक्ष महोदया, दो दिन से इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, ये भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहते हैं। इतने शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके लिए ये दो दिन से नोटिस दे रहे हैं और दोनों दिन इनका नोटिस बैलेट में आ रहा है, लेकिन आपने इन्हें इनएडमिसिबल कर दिया, इसलिए ये खड़े हुए हैं।... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मैं इस पर आऊंगी।

... (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** अध्यक्ष महोदया, ... (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** केवल मुलायम सिंह जी का भाषण रिकॉर्ड पर जाएगा।

... (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदया, ... (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मुलायम सिंह जी का भाषण ही रिकॉर्ड पर जाएगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप जो मामला उठा रहे हैं, उसका एक नियम है। आप नियमानुसार चलेंगे, तो मामला उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: There is a definite rule for it. You go according to the rule. Now let the hon. Member raise his matter of urgent public importance.

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमें बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अगर नियम के अनुसार नोटिस देंगे, तो आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश में 16 जातियाँ ऐसी हैं, जो पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टि से शून्य के समान हैं। वे जातियाँ उपेक्षित हैं। यही सोचकर हमने 10 अक्टूबर, 2005 को उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाकर उन 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया। ये 16 जातियाँ - कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कश्यप, धीवर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोंड, मांझी, बिन्द, भर, राजभर, कुम्हार और प्रजापति हैं। ये आदिवासी भी हैं। ये सारी जातियाँ उपेक्षित हैं। आपको याद होगा कि राज्य सभा में जब अमर सिंह जी द्वारा सवाल उठाया गया था, तो आप उस समय खुद मंत्री थीं। हमने इन जातियों को अनुसूचित जाति की जो भी सुविधाएँ होती हैं, वे सारी दीं। एक प्रस्ताव विधान सभा के माध्यम से भारत सरकार को भिजवाया गया। भारत सरकार ने वह प्रस्ताव निरस्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, तब आप मंत्री थीं, जब राज्य सभा में श्री अमर सिंह के प्रश्न का जवाब दिया, तो आपने कहा था कि उ. प्र. विधान सभा से आया प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। इसलिए आज हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जातियाँ कब तक उपेक्षित रहेंगी?

महोदया, कांग्रेस सरकार का नारा है कि 'हमारा हाथ जनता के साथ' और अध्यक्ष महोदया, 'हमारा हाथ गरीबों के साथ।' लेकिन कांग्रेस ने जो कहा वैसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस बात करती है गरीबों की और काम करती है अमीरों का। कांग्रेस पार्टी भाषणों में कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं और काम किया अमीरों का और अमीर और अमीर बनते चले जा रहे हैं। अब सरकार एक व्यक्ति को जाने कितना बड़ा उद्योगपति बना रही है। मैं उसके बारे में महोदया, यहां नहीं बोलूंगा। सोलह जातियों के संबंध में विधान सभा का प्रस्ताव है।



मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बी.जे.पी. हो या कोई भी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि इन 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये। उसके बाद अनुसूचित जाति की सभी जो सुविधाएं दी गई थीं, वे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने निरस्त करके जो सारी सुविधाएं, नौकरियां मिली थीं और रोजगार मिले थे, अनुसूचित जाति की सुविधाएं थीं, वे सारी की सारी सुविधाएं वापस ले ली गईं।...(व्यवधान)

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** नहीं, ऐसा नहीं है।...(व्यवधान) अनुसूचित जातियों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है। ...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** ऐसा नहीं है। यह काम बहुत कायदे से किया गया था। कानून के बड़े-बड़े बैरिस्टर, वकील और बड़े-बड़े जानकार लोगों की सलाह-मशविरे से रास्ता निकाला गया था। एडवोकेट जनरल, लॉ सैक्रेटरी और अन्य जो कानूनवेत्ता थे, उनकी राय से ही हमने इनको आरक्षण देकर सुविधाएं दी थीं, इसलिए यह प्रस्ताव आज भी निरस्त भले ही है, लेकिन सरकार को निरस्त किए हुए प्रस्ताव को बहाल करके, मेरी अपील है कि उनको सारी की सारी अनुसूचित जाति में शामिल करके सुविधाएं दी जायें। हमने इसका सर्वेक्षण करवाया था, ऐसे ही नहीं कर दिया था। हमने सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण करवाकर सब की रिपोर्ट आई है कि ये 16 जातियां अनुसूचित जाति में शामिल की जायें। उनकी रिपोर्ट पर और बड़े-बड़े कानूनवेत्ताओं की रिपोर्ट पर हमने यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो समाज में सबसे ज्यादा पिछड़ गये हैं और आज भी ज्यों के त्यों गरीब हैं, उनके पास मकान नहीं, झोंपड़ी नहीं, रोजगार नहीं और नौकरियां नहीं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपकी बात हो गई, अब आप समाप्त करिये।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** इस प्रस्ताव को निरस्त क्यों किया गया, इसको बहाल करने का हम सरकार से मांग करते हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री दारा सिंह चौहान।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप समाप्त करिये।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** सरकार इसको निरस्त करने का जवाब दे, यह हम सरकार से अपील करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** दारा सिंह जी, आप बोलिये।

**श्री दारा सिंह चौहान :** अनुसूचित जातियों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है। अनुसूचित जाति में जातियों को शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के साथ इन्साफ हो रहा है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप बोलिये।

**श्री दारा सिंह चौहान :** इनको बैठा दीजिए, नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा।...(व्यवधान) अगर लोग नहीं बैठेंगे तो मैं कैसे बात करूंगा।

**12.18 hrs.**

*(At this stage Shri Bishnu Pada Ray came and stood on the floor near the Table)*

**अध्यक्ष महोदया :** आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये।

**12.18¼ hrs.**

*(At this stage Shri Bishnu Pada Ray went back to his seat)*

**अध्यक्ष महोदया :** आपके मैम्बर बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये। श्री विष्णु पद राय, आप बोलिये। आप अपने मैम्बर्स को बैठाइये।

**श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह):** आप इनको बैठाइये, तो मैं बोलूंगा।

**अध्यक्ष महोदया :** आप अपने मैम्बर्स को बैठाइये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये। आपने अपनी बात कह दी है। विष्णु पद राय जी, अब आप बोलिये।

**श्री विष्णु पद राय :** मैंने एक कालिंग अटेंशन नोटिस दिया था, उसका जवाब मुझे शिक्षा मंत्रालय से मिला, लेकिन यह जवाब जो मुझे दिया गया है, वह जवाब अंडमान निकोबार के लोगों के विरोध में है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** जो विष्णु पद राय जी कह रहे हैं, वही रिकार्ड में जायेगा, बाकी कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

*(Interruptions) \**



**श्री विष्णु पद राय :** मैडम, मैं एक लाइन कोट करना चाहता हूँ। देश के शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने 19 जुलाई, 2008 को एक पत्र लैफ्टीनेंट गवर्नर महोदय को दिया था, मैं उसकी एक लाइन कोट करना चाहता हूँ:

“I would request you to send us a proposal for consideration at the Government of India level, for starting of a new NIT, which may serve the admission requirements of students of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry. For starting of a new NIT, you will have to provide free of cost suitable piece of at least 300 acres of land at a place having rail, road and air connectivity as well as good civic infrastructure.”

**श्री मुलायम सिंह यादव :** सरकार हमारी बात का उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं।

**12.20 hrs.**

*(At this stage Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members left the House)*

**श्री विष्णु पद राय :** पुदुच्चेरी में एन.आई.टी. खुले, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरी एक ही मांग है कि अंडमान निकोबार की एन.आई.टी. आज क्यों अंडमान से निकाली जा रही है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

पापुलेशन के मुताबिक पांडिचेरी की आबादी 9.71 लाख है, जबकि अंडमान निकोबार की आबादी करीब 6 लाख है। पांडिचेरी में रोड लिंकेज है, रोड कनेक्टिविटी से मेनलैंड जुड़ा हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार में एयर या शिप से ही जाना हो पाता है, जो बहुत खर्चीला है। वहां काफी लोगों ने मेनलैंड देखा भी नहीं है। इकॉनामिक एक्टिविटीज के संबंध में कहना चाहता हूँ कि आज पांडिचेरी में मीडियम एंड लार्ज स्केल की बहुत से इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, जबकि अंडमान में कुछ भी नहीं है। आज नेशनल लेवल के दो इंस्टीट्यूशन पांडिचेरी में हैं और आठ प्राइवेट कालेजेज हैं, जबकि अंडमान में नेशनल लेवल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लैंड का एक्सक्यूज देकर शिक्षा मंत्रालय एनआईटी अंडमान में नहीं खोलना चाहते, अंडमान निकोबार की जमीन की ओनर केंद्र सरकार है, जबकि द्वीपवासी टैनेन्ट्स हैं यानी वे भारत सरकार के किरायेदार हैं। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार एनआईटी के लिए जमीन एक्वायर करे।

नार्थ-ईस्ट में केंद्र सरकार ने नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन, जैसे - आईआईएम, आईआईटी, एनईआरआईएसटी खोला। आज 11<sup>th</sup> प्लान में वहां एनआईटी खोलने जा रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश,

नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम आदि में खोलेंगे। भारत सरकार अंडमान में एनआईटी क्यों नहीं खोल रही है? मेरी मांग है कि भारत सरकार अंडमान में नेशनल लेवल का एनआईटी खोले।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only what Dr. Thambidurai says will go on record.

(*Interruptions*)\*

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I thank you for having allowed me to raise this very important matter of urgent public importance regarding "allocation of natural gas" to Southern States, especially to Tamil Nadu... (*Interruptions*) Madam, Tamil Nadu does not have adequate coal to produce thermal power. Tamil Nadu does not have adequate water for drinking and irrigation purposes. So, there is no question of producing hydel power. Hence, we are totally dependent on gas; and gas is the only alternative source of energy... (*Interruptions*)

A few days back, (on the 3<sup>rd</sup> of August) the hon. Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Murli Deora made a statement in the Lok Sabha regarding "allocation of gas supply" and said that the Government will do everything possible to protect the interests of the Government and the public.

I would like to remind the House that in 2007, the Reliance Industries secured a clearance from the Government of India, for the production and supply of gas of about 80 metric cubic metre per day from the KG Basin. Accordingly, the Reliance Industries were supposed to lay main gas pipeline from Kakinada to Chennai, and other pipelines from (i) Chennai to Tuticorin, (ii) Chennai to Bangaluru and (iii) Chennai to Cochin.

But I am sorry to say that they have not even dug a single kilometre for laying the pipelines in these places; and deliberately, they are taking gas from Kakinada to Gujarat. They are concentrating only on Mumbai, Gujarat, Uttar Pradesh and other Northern states. The gas from Bombay High is already taken to Uttar Pradesh and Bihar... (*Interruptions*)

---

\*Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त करिए।

... (व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI : In the federal set up of our country, all the states have to be accorded equal rights, but here is a situation where the Southern States are suffering at the cost of other States. Southern States, especially Tamil Nadu, are being ignored and neglected continuously by the Government of India... (*Interruptions*)

When all this injustice is being done, the DMK Party, being a part of the coalition Government is keeping quiet. It gives an impression that it is only interested in remaining in power and it is not bothered about bringing gas to Tamil Nadu... (*Interruptions*)

Hence, I request the Union Government to kindly pay serious attention to this problem and see that pipelines are laid and gas is taken to Southern States in right earnest so that Tamil Nadu also benefits from this... (*Interruptions*)

I also urge the Government of India to expedite the exploration of natural gas from the Cauvery Basin; and plead with the Government to take urgent steps to supply natural gas to Tamil Nadu at an early date.... (*Interruptions*)

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Madam, the forest blocks in my parliamentary Constituency, Hooghly, of West Bengal have been eroded by the river Ganges. The names of the villages affected are Sukuna, Chambra, Khoirmari Char, Bhowripur, Khatrianagar, Gosaipur, Hatikanda, Ramnagar, Gopalpur, Chandrabati I and Chandrabati II of Mogra Block. Around 30 kilometres of land at the bank of river Ganga, stretching from Guptipara of Balagarh (SC constituency) to Chandrabali II Mogra are affected. Two thousand acres of cultivated land has been lost. Thousands of residential homes, school buildings and burning *ghats* have been swallowed by the river... (*Interruptions*)

The people of the affected areas are mostly displaced persons from erstwhile East Pakistan who came across the border after the Independence. They are farmers, carpenters, and artisans by profession. ... (*Interruptions*) If some

measure is not taken immediately those displaced people will have to be displaced again with loss of jobs and profession... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। कृपया उनको बोलने दीजिए।

...(ब्यवधान)

DR. RATNA DE : I would request the relevant Department to take necessary steps to construct concrete guard wall and Embankment to safeguard lives and livelihood of those people... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

**12.24 hrs .**

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.*

---

**14.00 hrs.**

*The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

**LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA BILL, 2009<sup>\*</sup>**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajay Maken to introduce a Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): Sir, I beg for leave to introduce the Land Ports Authority of India Bill, 2009 to provide for the establishment of the Land Ports Authority of India for the development and management of facilities for cross border movement of passengers and goods at designated points along the international borders of India and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce the Land Ports Authority of India Bill, 2009 to provide for the establishment of the Land Ports Authority of India for the development and management of facilities for cross border movement of passengers and goods at designated points along the international borders of India and for matters connected therewith or incidental thereto.”

*The motion was adopted.*

SHRI AJAY MAKEN: Sir, I introduce the Bill.

... (*Interruptions*)

---

\* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 07.08.09

**14.01 hrs.**

**MATTERS UNDER RULE 377\***

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं।

... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले ले डाउन हो गए हैं। जो परम्परा है, हम उसी को कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई परम्परा खड़ी नहीं कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

**(i) Need to take adequate preventive measures to check the spread of H1N1 virus in Pune and other parts of the country**

DR. K.S. RAO (ELURU): I would like to draw the urgent attention of the government towards the crisis that has arisen in Pune and other places following the untimely death of 14 years old girl Reeda in Pune due to H1N1 virus and the consequent panic created among the people. The Central Government should detail the steps to meet the situation in Pune and other parts of the country since the WHO feels that the virus is unstoppable.

---

\*Treated as laid on the Table.

**(ii) Need to recover the Government money outstanding against the Industrial Units in the country**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): औद्योगिक क्षेत्र की तरफ सरकार की कुल बकाया राशि 10,54,390 करोड़ रुपये हैं। इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार के द्वारा और बैंकों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। किसानों और साधारण नागरिकों पर जिस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है उसी तरह इन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश के हजारों किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। देश के सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद के तहत, समान अधिकार प्राप्त हैं। सरकार इस पर सदन में वक्तव्य दे और उन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करें तथा उन पर मुकदमा चलावें।

**(iii) Need to augment irrigation facilities and set up an Agricultural Research Centre in Giridih district of Jharkhand**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखंड राज्य का गिरिडीह जिला माइका इंडस्ट्रीज और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों सहित जैन तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, परन्तु कृषि के क्षेत्र में यह एक पिछड़ा जिला है। जिले में सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती नगण्य है और आज तक यहां कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड से धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह के हजारों किसान वंचित है। इन जिलों में कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं और नए सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता है। आज केन्द्र सरकार के लिए कार्यों को गति देने के लिए उपयुक्त समय है क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है।

अतः केन्द्र सरकार गिरिडीह जिले में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने, प्रत्येक किसान को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने, नई सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने एवं लंबित सिंचाई परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर कराने हेतु शीघ्र आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।



**(iv) Need to set up a new unit of Fertilizers Corporation of India Limited in Gorakhpur, Uttar Pradesh**

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** देश में हरित क्रान्ति की सफलता में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसानों को समय पर उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए आजादी के बाद देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किये गए थे। इसी क्रम में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की एक इकाई सन् 1969 ई0 में गोरखपुर में स्थापित की गई थी। इस उर्वरक संयंत्र ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अन्दर हरित क्रान्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। एक साधारण दुर्घटना के चलते गोरखपुर का उर्वरक संयंत्र जून, 1990 ई0 में बंद कर दिया गया और तब से लगातार यह इकाई बंद चल रही है। इसे प्रारम्भ करने के लिए लगातार आन्दोलन हुए। देश के तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों ने गोरखपुर जाकर बंद इकाई का पुनः प्रारम्भ करने अथवा नया उर्वरक संयंत्र लगाने का आश्वासन पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को दिया था लेकिन आज तक वह आश्वासन घोषणा तक ही सीमित रहा। गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्र के पास पर्याप्त मात्रा में (1400 एकड़) भूमि उपलब्ध है जो वर्तमान में भी है। नया उर्वरक संयंत्र लगाना ही वर्तमान में एकमात्र समाधान है।

कृपया व्यापक जनहित में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर स्थित बंद इकाई के स्थान पर नया संयंत्र लगाया जाए।

**(v) Need to construct Over Bridges at Gadkhol and Bhulao crossings on Ahmedabad-Mumbai National Highway in Bharuch, Gujarat**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरुच): मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच जिले में गडखोल क्रासिंग अंकलेश्वर को जोड़ता है एवं भुलाव क्रासिंग भरुच को जोड़ता है। यह दोनों क्रासिंग अहमदाबाद-मुम्बई राष्ट्रीय रेलवे मार्ग पर स्थित है। इन स्थानों पर यातायात बहुत ज्यादा है। दोनों जगहों के औद्योगिक कारखानों का यातायात इन्हीं क्रासिंग से होकर जाता है। अत्यधिक यातायात होने के कारण यह दोनों मार्ग घंटों तक बाधित रहते हैं और लोगों को बहुत असुविधा होती है। लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इन क्रासिंगों पर एक एक उपरी पुल बनना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद-मुम्बई रेलवे मार्ग पर स्थित भरुच-अंकलेश्वर जिले के अंतर्गत गडखोल एवं भुलाव क्रासिंग पर एक एक उपरी पुल शीघ्र बनाने के निर्देश दिये जायें।

**(vi) Need to start flight services from Disa Airport in  
Banaskantha district, Gujarat**

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):** मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर गुजरात क्षेत्र में 1945 में बने डीसा एयरपोर्ट, जिला बनासकांठा के कार्यान्वयन हेतु आकर्षित करना चाहती हूँ। इससे उत्तर गुजरात के पाटण, बनासकांठा मेहसाणा की 75 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी।

उत्तर गुजरात में अम्बाजी, संखेश्वर, पाटण, बडनगर के पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। इसके पास माउंटआबू, रानकपुर और उदयपुर जैसे नजदीकी स्थानों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तीनों जिलों की दूध डेरियां और डायमंड उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। आयल मिलें और कृषि मंडी बड़े पैमाने पर तीनों जिलों में फैली हुई हैं। इसलिए यहाँ देश-विदेश से उद्योगपतियों का आवागमन, इजरायल, अमेरिका, सूरत, चैन्नई, मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली से भी रहता है।

अहमदाबाद का एयरपोर्ट उत्तर गुजरात से 150-200 किमी० दूर पड़ता है। उत्तर गुजरात के डीसा एयरपोर्ट के कार्यान्वयन से उत्तर गुजरात के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।

---

...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी, बाकी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions)\**

**14.03 hrs.**

**DISCUSSION UNDER RULE 193**

**Rise in price of essential commodities— contd.**

**\*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** महोदय, सदन में आवश्यक वस्तुओं को बढ़ते मूल्य-मंहगाई पर उठाई गई चर्चा पर अनेक सदस्यों ने चर्चा की। सभी ने बढ़ती मंहगाई पर चिंता व्यक्त की तथा सरकार को नाकाम असफल होने की बातें कहीं। सरकार मंहगाई पर नियंत्रण कर पाने में असफल रही।

इस प्रचंड जनसंख्या वाले देश में जहां 30 प्रतिशत से ज्यादा अति गरीब बीपीएल परिवार हैं। इतनी ज्यादा संख्या के इन अति गरीब परिजनों की नींद हराम हुई है। मध्यम वर्ग के लोग भी भयभीत हैं, चिंतित हैं। इस बढ़ती मंहगाई हेतु सरकार तुरंत सक्रिय रूप से कड़क कदम उठाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान देकर गरीब जनता को अनाज की आपूर्ति हो, इसी पर विशेष ध्यान दे। जमाखोरी, कालाबाजारी न हो, इसलिए सरकार स्वयं सभी राज्य सरकारों को आदेश दें। जगह-जगह विशेष स्कॉड बनाए। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर रोक लगाने हेतु EC एक्ट का बड़े पैमाने पर अमल करने हेतु पहल करे।

देश में गरीबी के कारण बीपीएल परिवार ग्रामीण परिवारों में महिलाओं में रक्तअल्पता, बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या पर चिंतित थे लेकिन विद्यमान बढ़ती मंहगाई की वजह इस कुपोषण व रक्तअल्पता पर भी चिंता होनी चाहिए।

अनाज के साथ अन्य वस्तुओं पर भी नियंत्रण हेतु सरकार चिंता करे। इन सभी उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन पर लगने वाली लागत पर भी विचार होना चाहिए।

मैं सुझाव दूंगा कि बढ़ती मंहगाई पर नियंत्रण हेतु उत्पादक उत्पादन लागत से कई गुना अधिक मूल्यों में अनेक वस्तुएं बाजार में बिक्री करते हैं। चाहे साबुन टूथपेस्ट, बिस्किट, चॉकलेट, दवाइयां अन्य खाद्य पदार्थ, इन सभी के उत्पादन पर लगने वाली लागत पर आधारित बिक्री मूल्य होनी चाहिए लेकिन इस हेतु सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। उत्पादक कारखानों में बनी वस्तुओं पर अपनी मनमानी ढंग से मूल्य तय करते हैं। इस वजह से मंहगाई अनियंत्रित होती जा रही है।

---

\* Speech was laid on the Table.

मैं सुझाव दूंगा कि सभी उत्पादित वस्तुओं पर जिसमें फूड प्रोसेसिंग की गई वस्तुओं के साथ दवाई, सौंदर्य प्रसाधनों, साईकिल, स्कूटर, मोटर इत्यादि उत्पादनों पर भी लागत मूल्य प्रिंटिंग हेतु सख्ती की गई तो महंगाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यह मैं मांग करता हूँ।

**\*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):** देश में भीषण बाढ़ एवं भीषण सुखाड़ फैल रहा है, और भीषण मंहगाई फेल रही है, क्या सरकार इस बाढ़ सुखा के विपदा में मंहगाई नहीं रोक सकती, डीजल-पेट्रोल का दाम बढ़ना निश्चित दूरदर्शी निर्णय नहीं था। लेकिन इसके आड़ में जमाखोरो द्वारा कृत्रिम मंहगाई लाना कतई देश हित में नहीं है, दो माह पहले तेलों का दाम बढ़ता है जिस अनुपात में दाम बढ़ता है उसी अनुपात में मंहगाई नहीं बढ़ती मंहगाई उसके पाँच गुना बढ़ी लगती है दाल, चना, मूंग, आटा, चावल, सिमेंट, छड़, मोरंग, सब्जी तेल सब आसमान छू रहे हैं कपड़ा, बच्चों के बैग सबका दाम बढ़ा है आप के माध्यम से सरकार ही बताए कि जब तेल का दाम बढ़ाया गया तो कौन सी फसल तैयार हो गई जिसे व्यापारियों ने मंहगे दामों पर खरीदा और अब मंहगे दामों पर बेच रहे हैं तेल का दाम बढ़ते ही स्टॉक कहाँ चला गया सरकार ने यह देखा की सामानों की जमाखोरी कर तेल का बहाना बनाकर मंहगे दामों पर कैसे सामान उपलब्ध होता जा रहा है किसान से क्या दुश्मनी है जब दाल, मूंग, चना, सब्जी, गेहूँ, चावल, उसके घर से था तो मंहगाई नहीं थी ज्योही उसके घर से गोदामों में गया क्रय मूल्य से चौगुने तीगुने दामों में व्यापारी बेच रहा है, क्या सरकार बढ़े दाम का लाभ किसानों को दिलाएगी, छड़, सिमेंट माल ढुलाई का बहाना बनाकर उद्योगपतियों द्वारा मंहगा किया गया।

महोदय, जमाखोरों, उद्योगपतियों ने कही इस सरकार को चन्दा तो चुनाव का नहीं दिया था जो उनको मनमानी की छुट देकर देश की जनता का कमर तोड़ा जा रहा। सरकार ने उद्योगपतियों जमाखोरों से कहा कि बाढ़, सुखाड़ के भीषण विपदा में दाम न बढ़ाए या सरकार ने पूरे देश में दाम बढ़ाने वालों, खाद्य सामानों की जमाखोरी करने वालों के यहां छापा डालकर वास्तविक स्थिति जानी गई है यह सरकार मंहगाई नहीं रोक पा रही है तो भारत निर्माण की बात क्या करती है इस समय मंहगाई नहीं रूकी तो देश की जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

महोदय, यह केवल मंहगाई नहीं है यह कमर तोड़ मंहगाई है, इसे नहीं रोका गया तो जनता पहले सांसदों की कमर तोड़ेगी फिर सरकार की ऐसी कमर तोड़ेगी की दवा नहीं मिलेगी सर्व-विदित है केवल एक प्याज का दाम बढ़ने से चार प्रान्तों की राजग सरकार समाप्त हुई थी, यहाँ तो हर सामान के दाम बढ़े हैं, कल्पना करिए सुखाड़ से अब किसान और दैनिक मजदूरी कर खाने वालों की क्या दशा होगी, क्योंकि जिसके पाकेट में हजार हो वह 100 की दाल 200 में खरीदे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन जिनके

पाकेट में सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में 37 रुपये प्रति व्यक्ति आय वाला दाल, सब्जी, फीस, चावल, आटा, चीनी, तेल कैसे उपयोग करेगा, सुखाड़ ने मंहगाई ने जनता को भुखों मरने पर मजबूर कर दिया है देश की सरकार प्रान्तीय सरकारों से वार्ता कर जमाखोरी को अविलम्ब रोके आवश्यक वस्तुओं पर आवश्कतानुसार सबसिडी जारी करें और ग्राम पंचायत व टोला स्तर पर भोजन देने का इंतजाम करें आवश्यक हो तो जनता को मंहगाई से बचाए।

**\*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** महोदय, आज पूरा देश महँगाई की ज्वाला से जल रहा है सरकारी घोषणाओं में देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। विश्वव्यापी मंदी के कारण महँगाई बढ़ रही है, यही सरकारी तर्क है। फीगर और डाटा से देश का हर क्षेत्र हरा-भरा है।

लेकिन सच्चाई यह है कि कृषि का जीडीपी में हिस्सा आजादी के समय आधे से अधिक था जो अब घटकर 5वें हिस्से से भी कम रह गया है। कृषि से जुड़े आधे लोग अभी भी निरक्षर हैं तथा केवल 5 प्रतिशत लोगों ने ही हायर सेकेण्ड्री तक की शिक्षा पूरी की है। कृषि श्रमिकों में निश्चय ही आय और शिक्षा की बहुत कमी है। जहाँ 1951-52 में अनाज-तिलहन की विकास दर 4.19 प्रतिशत थी, वहीं 9वीं एवं 10वीं योजना में यह क्रमशः 1.49 एवं 1.28 हो गया। इसके बाद यूपीए सरकार में 2005 से 2007 तक यह फीगर 3.52 प्रतिशत हो गया। दालें और सब्जियाँ 1.61 प्रतिशत हो गया।

दाल 80 रु. किलो, सब्जी 30 से 40 रु. किलो। मजदूर की मजदूरी का औसत 40 रु. प्रतिदिन। गेहूँ, चावल, सब्जी, दाल एवं चीनी सभी गरीबों के मुँह से बाहर हो रहा है। किसानों को MSP नहीं मिल रहा है। KCC कुछ सम्पन्न और चालाक किसानों को ही मिल रहा है। शेष करोड़ों गरीब एवं निरक्षर किसान इस सुविधा से वंचित हैं। आज देश में करोड़ों लोग आवास सुविधा से वंचित है। राज सहायता का लाभ सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मिलावट, जमाखोरी एवं मूल्यवृद्धि सरकार के नियंत्रण से बाहर है। मिलावट के नमूनों की जांच करने के लिए न देश के राज्यों में पर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं और न मिलावट जांच करने वाले कर्मचारी फिर भी देश तरक्की पर है। क्योंकि गरीब बढ़े जमाखोर/मिलावटखोर बढ़ रहे हैं।

वर्तमान महँगाई कृत्रिम (आर्टिफिशियल) महँगाई है। 2002 से 2005 तक पैदावार की विकास दर में दालें एवं सब्जियों की विकास दर 5.95 प्रतिशत थी जो 2006-2007 में घटकर 1.61 प्रतिशत हो गई। यह डाटा एन.एस.ओ. का है इसके बाद डाटा अपडेट नहीं है। सरकार को इसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था कि दालें और सब्जियों की विकास दर कम हो रही हैं। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन सरकार सो गई थी। वर्तमान प्यास में कुंआ खोदने का कोरा दावा किया जा रहा है जो इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मात्र है।

---

\*Speech was laid on the Table.



सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश के किसानों को फसल का एम.एस.पी. नहीं मिलता । आज बड़ी-बड़ी कम्पनियां एयरकंडिशन में अनाज एवं सब्जी, दाल एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रही है और उनको मुनाफा भी हो रहा है लेकिन आज हमारे देश का किसान एवं गरीब अनाज एवं सब्जी बेचकर अपने परिवार को भरपेट भोजन नहीं करा सकता । यह फासला सरकार के द्वारा समर्थित है । एस.ई.जेड. के लिए हजारों किसानों और मजदूरों की जान गई । बड़े उद्योगपतियों को गरीब किसानों की जमीन पर सरकार द्वारा कब्जा दिला दिया गया लेकिन आज देश के मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों और आम जनता की स्थिति एवं बदहाली बढ़ती जा रही है । देश की स्थिति को तो छोड़ें. राजधानी दिल्ली में पीने के पानी में अमोनिया और क्लोराइड की मात्रा 600 मिलीग्राम प्रति लीटर है जबकि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड 250 मिलीग्राम क्लोराइड की मात्रा मान्य मानता है । लेकिन सरकार देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए चिन्तित नहीं है । तमाम असमानताओं के बीच जनता महंगाई से कराह रही है । एनडीए की सरकार की तुलना में यूपीए सरकार में चार-पाँच गुणा महंगाई बढ़ गई है । तमाम बड़ी कम्पनियों ने वस्तुओं का वजन, मात्रा एवं क्वालिटी में कमी कर दी और दाम में वृद्धि । यह मैजिक खेल सरकार के सामने है ।

आज देश में वही अनाज है, दाल है, पैदावार है, जनसंख्या है, भारत की जनता की भूख एवं कंजम्पशन शक्ति वही है । यकायक सामान कहां गया ? सारी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गये । क्या देश में बंगलादेश और पाकस्तान से आकर लोग भारत में अनाज का उपयोग कर रहे हैं ?

2008-2009 में दालों का घरेलू उत्पादन 14.2 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित था जितना 2006-2007 में था जो 2007-2008 की तुलना में मात्र 0.6 मिलियन मीट्रिक टन कम है । जुलाई, 2008 में कच्चे तेल की कीमत 147 अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंचने पर भी कीमतें आज के अनुपात में नहीं बढ़ी क्योंकि चुनाव कराने थे । विकट स्थिति में भी पे-कमीशन लागू करके देश के नौकरी पेशा वालों को लुभाया गया । अब परिणाम कौन भुगत रहा है, सरकार इसका निर्णय स्वयं करे ।

आज भारत के श्रम मंत्री एवं भारत के उद्योग मंत्री ने स्वयं प्रश्नों के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि देश में श्रमिकों के लिए बना कानून वैसा प्रभावी नहीं है जैसा कि आईपीसी एवं सीआरपीसी के अन्तर्गत बने कानून और देश में पीएसवीएस के माध्यम से हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं । देश में कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती पर प्रश्न किया गया, तो मंत्री जी का जवाब है अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । ऐसी स्थिति में आप देश के किसानों एवं मजदूरों की दशा एवं दिशा कैसे तय करेंगे । रिपोर्ट के अनुसार देश में 2004-05 में बाढ़ से नुकसान 3337 करोड़ रु. हुआ आपदा सहायता निधि से 1286 करोड़ रु. मिला । वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना की स्थिति दयनीय है ।

आज हमारे राज्य झारखण्ड की स्थिति बदतर है । सामाजिक समूहों के अन्तर्गत बीपीएल की जनसंख्या का प्रतिशत 2004-2005 के दौरान अखिल भारतीय एससी 36.8, एसटी 47.3, ओबीसी 26.7 के तुलना में यह आंकड़ा क्रमशः 57.9, 54.2 एवं 40.2 प्रतिशत रहा है ।

यह देश की तस्वीर है । जब तक सरकार दलगत एवं राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर देश की बदहाली से रू-ब-रू न होगी तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है । सरकार को कृषि विकास दर को बढ़ाने, सिंचाई परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने, नदियों को जोड़ने, कालाबाजारियों, जमाखोरों पर रोक लगाने और देश के निर्माणी कम्पनियों द्वारा मूल्यवृद्धि करने की मनमर्जी पर नियंत्रण लगाना होगा, तभी हम देश के करोड़ों गरीबों, मेहनतकशों के साथ न्याय कर सकते हैं । इसके लिए एसईजेड छोड़कर बड़े औद्योगिक घरानों को सरकार का साथ देना होगा और जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट नहीं रूकती है, तो सरकार को जनता से अपील करना चाहिए हम लाचार हैं, हम लाचार हैं । हम एक हैं हम एक हैं ।

**\*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** महोदय, सदन में महंगाई पर चर्चा हो रही है आम आदमी को राहत देने की बात 100 दिन में महंगाई कम करने की बात यू.पी.ए. सरकार द्वारा की गई थी किंतु 15वीं लोक सभा के गठन के बाद से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें दिन रात बढ़ती जा रही हैं चुनाव के पूर्व पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कमी की गई किंतु चुनाव बाद कीमतों को फिर बढ़ा दिया गया दाल खाना तो बहुत दूर की बात हो गई आम आदमी दाल खरीदने का ही साहस नहीं जुटा पा रहा है वहीं दूसरी ओर 2 लाख टन दाल बंदरगाह पर पड़ी है क्यों नहीं सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग कर रही । कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाकर जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही अब तो जनता चर्चा करने लगी है जब-जब कांग्रेस की सरकार आती है महंगाई बढ़ जाती है यह हमारे लिए बड़ी गंभीर चुनौती है कि देश की 77 प्रतिशत आबादी सिर्फ 20 रु. प्रतिदिन खर्च करने की स्थिति में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त कर अनाज गेहूँ, चावल, चीनी शक्कर सहित दालों एवं सभी आवश्यक वस्तुओं का विक्रय उचित मूल्य की दुकानों से होना चाहिए ।

एन.डी.ए. की सरकार और यू.पी.ए. की सरकार की तुलना करें तो आज सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं महंगाई का सबसे ज्यादा असर गांव गरीब एवं मजदूर पर पड़ा है लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । गरीब की थाली से निवाला छीनने का काम सरकार ने किया है । सिर्फ चर्चा करने से कोई हल नहीं निकलेगा हम वास्तव में महंगाई कम करना चाहते हैं तो सरकार को सभी राजनैतिक दलों से बातचीत कर ठोस कदम उठाना चाहिए तभी बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा देश में निर्मित होने वाली अराजकता से बचा जा सकता है अन्यथा कुछ समय में स्थिति इस बढ़ती हुई महंगाई से बहुत विस्फोटक हो सकती है क्योंकि इससे हर परिवार एवं पूरा समाज प्रभावित हो रहा है । अतः दृढ़ इच्छा शक्ति से एन.डी.ए. को मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है ।

---

\* Speech was laid on the Table.

**\*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** महोदय, महंगाई के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ ।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो चर्चा का विषय है वह उन 80 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है जो एक दिन में दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, और वह महंगाई है, अभी भारत सरकार महंगाई को शून्य से नीचे दिखा रही है मगर क्या उसका असर रोजमर्रा के राशन पर है ? जब मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत से ज्यादा थी तब तेल का दाम 42 रु. में मिलता था तथा जब दाम 48 रु. में थी । जब कि आज 90 से ज्यादा है । इसी प्रकार से चीनी, किरोसीन, चावल, गैस इत्यादि रोजमर्रा की आवश्यक चीजों की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छू रही हैं । इसी वृद्धि को सरकार आंकड़े की बाजीगरी से मासूम जनता को भ्रमित कर रही है और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा जब एन.डी.ए. की सरकार थी तब अरहर दाल 28 रु. में जब की आज वही दाल 91 रु. में मिल रहा है और उस समय चीनी 12 रु. में था जो आज 28 रु. है और त्योंहार के चलते 40 रु. होने जा रही है और अभी डीजल जो कि किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है । इसके दाम भी दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रहे हैं और गैर के दाम में बढ़ोत्तरी से गृहणियों के बजट चरमरा गए हैं, स्कूलों की फीस में वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं । जिसका असर भारत के भावी विकास से जुड़ा हुआ है ।

अभी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई को बढ़ा रही है जिससे गरीब लोगों का जीने का हक जो संविधान के 21वें अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है । उसे भी छीना जा रहा है ।

आज किसानों के लिए उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि के दाम आसमान छू रहे हैं, और उसे सस्ते दरों पर कृषि ऋण नहीं मिल पा रहा है । जिससे साहूकारों के चक्कर में पड़े और ऊपर से सूखे की प्राकृतिक मार ने उसे आत्महत्या के लिए विवश कर दिया है । जो दिन प्रतिदिन हमलोग न्यूज में देखते हैं । जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सरकार दोषी है और जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो उस समय देश से अनाज को निर्यात किया जाता था लेकिन जब आज यू.पी.ए. की सरकार में हर बीज को आयात करना पड़ रहा है और 5 साल में यू.पी.ए. सरकार ने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया है और जबसे देश आजाद हुआ है । तबसे कांग्रेस की सरकार बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे लेकिन गरीबी हटाने की जगह गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । महंगाई देश को लपेटे जा रही है और यहां कांग्रेस सरकार तमाशा देख रही है । तो मैं यहां संसद में बैठे हुए सभी पार्टी के सांसदों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और महंगाई की गति को कम किया जाए ।

---

\* Speech was laid on the Table.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR):  
Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to the hon. Members for having raised many important issues on price rise which are badly affecting a sizeable section of our society... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने ले करवा दिए हैं तो डिस्कशन क्यों होगी?.. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि जो परम्परा है, हमने उसी के आधार पर किया है, अपनी तरफ से नहीं किया है। उसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(*Interruptions*)\*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, prices, particularly prices of essential commodities is one of the most important issues that have affected a sizeable section of our society... (*Interruptions*) देश के सभी वर्गों को बढ़ती हुई कीमतों की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या लग रही है।

---

\* Not recorded.



दो दिन से सदन में इस बारे में बहस हो रही है। जिन सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लेकर जो बातें इस सदन के सामने रखीं, मैं उन सभी इश्यूज को राजनीतिक दल के तौर पर नहीं देखना चाहता। यह एक गंभीर समस्या है। आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। सच बताऊँ, तो यह परिस्थिति अपने देश तक ही सीमित नहीं है, देश के बाहर भी कुछ हिस्सों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, जिसका असर कुछ पैमाने पर हमारे ऊपर पर भी हो सकता है। दस दिन पहले इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला था। देश में अनिश्चित मानसून ने एक गंभीर परिस्थिति पैदा की है, जिसका असर कई राज्यों में और खास तौर पर किसानों की खेती, कुछ फसलों पर हुआ। मैंने सदन के सामने उस दिन इस स्थिति को रखने का प्रयास किया था। उस दिन मैंने यह भी बताया था कि कई फसलों का क्षेत्र कम होने की स्थिति दिख रही है, जिसका असर कई फसलों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर भी हो सकता है। इस परिस्थिति का सामना हम सब लोगों को मिलकर करना होगा, क्योंकि जो कमियाँ आयेंगी, उसकी कीमत इस देश की आम जनता और खासतौर से समाज का जो गरीब वर्ग है, उनको ज्यादा देनी पड़ेगी। उसी पार्चड भूमि के बारे में इस सदन में माननीय सदस्यों ने राइजिंग प्राइसेज का सवाल उठाया था। कल इस पर डिटेल्ड डिसकशन हुई, मगर उसी समय राज्य सभा में भी इस पर डिसकशन हो रही थी और मुझे वहाँ पर जवाब देना था। इसलिए इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का विचार मुझे सुनने का मौका नहीं मिला। मगर सदन के रिकार्ड से जिन सदस्यों ने यहां जो कुछ बातें कहीं, उसे पढ़ने का मुझे मौका मिला। इस मामले में भारत सरकार की इस बारे में क्या नीति रहेगी, क्या कदम उठाएँगे, यह मैं सदन और सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखने का प्रयास करूँगा।

एक बात मैं शुरू में ही सदन और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस देश में आज यूपीए सरकार द्वारा जिस नीति को स्वीकार किया गया है, उसमें देश की कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, किसानों को ठीक तरह से कीमत कैसे मिलेगी और देश की अनाज की समस्या को हल करने में कामयाबी कैसे मिलेगी, उस पर हमारा एक तरफ से ध्यान रहेगा। वैसे कृषि और किसानों की भलाई की बात हम सोचेंगे। साथ-साथ समाज में जो गरीब वर्ग है, उसकी अनाज की समस्या को हल करने के लिए आवश्यकता पड़ी, तो सब्सिडी का रास्ता स्वीकार करके बिलो पावर्टी लाइन पापुलेशन, अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल होने वाले वर्ग आदि के हितों की रक्षा करना, ये दोहरा दृष्टिकोण आज इस सरकार का है। हम इस रास्ते से जाना चाहते थे।

हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुनिया में जो कुछ बदलाव आ रहा है, उसका असर यहां भी कुछ न कुछ हो रहा है। कोई नयी फोर्सिंग सामने आ गयी—इनकम ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, हाई एनर्जी प्राइसेज, ग्लोबलाइजेशन, बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है।

इनका असर फूड कंजम्प्शन, प्रोडक्शन और मार्केट पर होता है, यह हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या देश और दुनिया के सामने आई, इंप्लेशन की। आज हमें कई क्षेत्रों में कामयाबी मिली है, मगर कुछ महीनों पहले हमने यह देखा कि दुनिया में कूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने एक बड़ी समस्या दुनिया के सामने पैदा की जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा हुआ और खास कर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा कीमत देने की नौबत आई। इस परिस्थिति का सामना करके, इसमें कामयाब होकर भारत आगे जा सका। आज सभी जगहों पर, अखबारों में, टेलीविजन पर कीमतों के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं, इसे मैं गलत नहीं समझता हूँ। इनमें से खास तौर पर परिवारों को घर चलाने के लिए जो चीजें लगती हैं, उन पर सभी का ध्यान ज्यादा रहता है। इससे पहले हमने देश में महंगाई नहीं देखी हो, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी हमने महंगाई देखी है, सूखा देखा है, बाढ़ देखी है, मगर इस समय कुछ ऐसे आइटम्स हैं, जिनसे आम जनता और समाज के गरीब वर्गों की नींद खराब होने की परिस्थिति पैदा हो गयी है। इसमें पहली बात हमें पल्सेज के बारे में करनी होगी। इस देश में पल्सेज का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ कामयाबी भी मिली। मगर जहां एक तरफ उत्पादन बढ़ने का काम शुरू था, वहीं दूसरी तरफ इसकी डिमाण्ड भी बढ़ रही थी। हमारे देश में इसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, पिछले दो-तीन सालों से वह लगभग 14 या 15 मिलियन टन होता है और देश की जो डिमाण्ड है, वह 17 या 18 मिलियन टन के आस-पास है। इस तरह से हम जो उत्पादन करते हैं और जो हमारी आवश्यकता है, उसमें साढ़े तीन या चार मिलियन टन का गैप है, कमी है। इस गैप को भरने के लिए पिछले कई सालों में भारत सरकार, चाहे एनडीए सरकार रही हो या यूपीए सरकार, ने इम्पोर्ट का रास्ता अपनाया है। एक तरफ अपने देश में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास और दूसरी तरफ जो कमी है, उसे पूरा करने के लिए इम्पोर्ट का रास्ता स्वीकार किया गया और इम्पोर्ट भी ज्यादा टैक्सेज या एक्साइज ड्यूटी के बिना ठीक तरह से कैसे होगा, इस पर ध्यान दिया गया। वर्ष 2008-09 का जो हमारा फसल का सीजन था, इसमें एक बात हो गयी, इस दौरान दालों का उत्पादन बहुत कुछ घटा। इनमें से तीन आइटम्स का उत्पादन घटा - तूर, उड़द और मूंग। जैसा लालू जी ने यहां कहा, आम जनता कुछ ज्यादा नहीं चाहती है, रोटी के साथ उनको दाल चाहिए और उन दालों में भी उनका सबसे ज्यादा ध्यान तूर, उड़द और मूंग की दाल पर होता है। इनमें कमी आई और इसका असर गरीब आदमी पर तथा

समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ा। इन तीन आइटम्स का पिछले साल हमारे देश में उत्पादन कम हो गया, जबकि बाकी का इतना कम नहीं हुआ।

**श्री शरद यादव (मधेपुरा):** आप जो कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसा बहुत से साथियों ने कहा कि बंदरगाहों पर दालें पड़ी सड़ रही हैं, उस बारे में क्या कहेंगे?

**श्री शरद पवार:** मैं उस पर भी आऊंगा। हमारे पास आयात करने का ही रास्ता था। वर्ष 2008-2009 में पूरी दुनिया में जो दालों की स्थिति है, सरप्लस दालों का उत्पादन या स्टॉक चंद देशों में ही होता है। जैसे म्यांमार है, अर्जेंटीना है, अमेरिका का वुड्रो हिल्लिसा है, आस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा है। इन चार-पांच मुल्कों से दालों का आयात होता है और समस्या को हल करने में मदद मिलती है। इस साल दुनिया में दालों का सरप्लस स्टॉक पांच मिलियन टन था। उसमें से हमने ढाई मिलियन टन खरीदने का काम अंडरटेकिंग्स फर्म्स या भारत सरकार की जो तीन-चार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीईसी, एमएमटीसी, नेफेड, एसटीसी ने दालों का आयात किया। इन्होंने करीब दस लाख टन के आसपास दालों की खरीद की। भारत सरकार की सलाह से पब्लिक सेक्टर की इन यूनिट्स ने दाल खरीदी, वे सरकार के अकाउंट पर नहीं लाए। वे सरकार की सलाह से लाए थे और मार्केट में दालें अवेलेबल कराने की कोशिश उनकी तरफ से हुई। हमारे देश की जो टोटल रिक्वायरमेंट है दालों की और जितना उत्पादन होता है, उसमें गैप हो गया। इसलिए तूर, उड़द और मूंग, इन तीन दालों पर बुरा असर पड़ा और ये दालें आम जनता को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कीमतों पर मिलने की परिस्थिति पैदा हो गई। यहां पर तूर की दाल 90 रुपए या 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक खरीदने की बात भी उठाई गई। मैं दिल्ली में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से हम जो प्राइस कलेक्ट करते हैं, कल मैं देख रहा था, यहां पर रिटेल के बारे में जो जानकारी आती है, वह देखी थी तो मालूम हुआ कि दालें 75 रुपए से 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग शहरों में बिक रही हैं। यह जबर्दस्त कीमत है। आम जनता के लिए सहन करने वाली नहीं है। इस पर कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके हमने दो रास्ते स्वीकार किए। पहला रास्ता यह स्वीकार किया कि इसका हल निकालने के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाई जाए। इस साल देश में कई जगह सूखे की स्थिति है, लेकिन दालों का क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान दिया गया है। मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि दालों के उत्पादन के सम्बन्ध में जितना क्षेत्र हमने पिछले चार सालों में सोइंग में बढ़ाया है, उतना पहले कभी नहीं बढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगले 10-15 दिनों में, जहां दालों का उत्पादन होता है, वहां बारिश हो जाए तो परिस्थिति में बदलाव आ सकता है, जल्दी आ सकता है।



दालें पूरे देश में कई हिस्सों में पैदा होती हैं। दालों की ज्यादातर पैदावार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ हिस्सों में भी कुछ न कुछ उत्पादन दालों का होता है।

मगर सरप्लस प्रोडक्शन देश के अन्य राज्यों में भेज सकते हैं, वह चार राज्यों में ज्यादा होता है, मगर वह बारिश पर निर्भर होता है। कम से कम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी की स्थिति बिहार और यूपी के मुकाबले ठीक है, अगर यह परिस्थिति अगले तीन-चार हफ्ते ठीक रही तो इसमें सुधार हो जाएगा तो परिस्थिति में बदलाव आ सकता है।

दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि इम्पोर्ट का रास्ता हमारे सामने है और उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। जो सवाल यहां उठाया गया और मेरा ध्यान टेलीविजन की रिपोर्ट और कुछ न्यूजपेपर्स की रिपोर्ट्स पर गया था कि आयात किया हुआ हजारों-लाखों टन माल बंदरगाहों पर सड़ रहा है और वह सरकार का माल है। सदन के माध्यम से एक बात मैं देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं कि सरकार ने पलसेज कहीं से भी नहीं खरीदी हैं। भारत सरकार ने चार संगठनों को सलाह दी कि आप ये इम्पोर्ट कर सकते हैं और जब आप यहां मार्किट में बेचेंगे, उसमें जो घाटा होगा, उस घाटे का कुछ हिस्सा भारत सरकार उठाने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने अवेलेबिलिटी की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। इन चार संगठनों ने कुछ माल इम्पोर्ट करने का काम किया। पीईसी, एमएमटीसी, नैफेड और एसटीसी, इन चारों संगठनों ने **the total contracted quantity is 10,29,140 tonnes.** एराइवल की डेट है 22 जुलाई 2009 की। **The actual arrival is 9,13,820 tonnes** As I said earlier, we have contracted for a quantity of 10,29,140 tonnes. Out of that, 9,13,820 tonnes reached India. यह नौ लाख माल जो पहुंचा है, इसमें से **a quantity of 7,03,445 tonnes has been disposed of. That has been disposed of in the open market.** कुछ राज्यों ने जो डिमांड दी थी, उन राज्यों की वह डिमांड पूरी की गयी। जो स्टॉक हमारे हाथ में था वह दो लाख दस हजार टन था और इसमें से जिसका जिक्र माननीय शरद यादव जी ने किया, वह जब हमने जांच की तो सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने हमें लिखित में बताया है कि जो माल उन्होंने खरीदा, उसमें से कोई भी माल सड़ा नहीं, खराब परिस्थिति में नहीं है। एक बात साफ है कि नैफेड 6 हजार टन माल बाहर से लाया था, वह कोलकाता पोर्ट पर हैल्थ ग्राउंड के क्लीयरेंस देने की आवश्यकता में समय लगा और उसे कस्टम ने क्लीयर नहीं किया था। आज सभी कागजात जो देने की आवश्यकता थी, वे नैफेड ने पूरे किये और सभी माल कस्टम ने क्लीयर किया और जहां भेजना था उसे भेजने में नैफेड कामयाब रहा। इससे एक बात साफ होती है कि आयातित माल सड़ रहा है, सरकार का

आयातित माल किसी बंदरगाह पर पड़ा है, यह रिपोर्ट गलत है। जहां तक इन चार पब्लिक सेक्टर ने लिखित रूप में हमें बतलाया और स्थिति हमने देखी, उससे यह बात जाहिर होती है, साफ होती है कि यह रिपोर्ट सच नहीं है। दूसरी एक बात हो सकती है कि जिस तरह से 10 लाख टन माल ये चार संगठन लाए, उसी तरह से 15-20 लाख टन माल प्राइवेट व्यापारी भी इस देश में लाए। उनका स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा। उनकी एसोसिएशन के माध्यम से एक स्टेटमेंट निकला है “Pulses Importers Association of India.” What have they said?

“Several allegations have been doing the round in newspapers that the stocks of pulses are lying in the ports on account of Government or private trade and that, over the months, the quality of the stock has been deteriorating. The Pulses Importers Association wishes to clarify that this is untrue and wish to inform you that the stock position of yellow peas and others at the ports and port cities is as follows and they are in good condition.”



प्राइवेट सेक्टर ने भी यह बात साफ तौर से कही है कि जो भी माल आया है, उसमें कोई खराबी नहीं हुई है। इतने बड़े देश में कहीं न कहीं चार बोरी या छह बोरी अगर खराब हो गई और उसका फोटो अखबार या टेलीविजन में आ गया। देश के सामने इतना बड़ा संकट है, तो देशवासियों के मन में भी यह शंका पैदा हो सकती है।... (व्यवधान)

**श्री लालू प्रसाद (सारण):** मुद्रा पोर्ट में माल पड़ा है।

**श्री शरद पवार :** मुद्रा पोर्ट में माल नहीं आया है। कोलकाता, मुम्बई, तुतिकोरिन, चैन्नई, विजाग, काकीनाड़ा पोर्ट्स आदि से माल आया है। इसकी रिपोर्ट फूड विभाग ने दी है। दूसरी जगहों से माल नहीं आया है, इस तरह की उनकी रिपोर्ट है।

**श्री लालू प्रसाद :** गुजरात में अदानी पोर्ट सबसे बड़ा है। वहां सारा माल पड़ा है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। आप इसकी जांच करवा लीजिए कि सामान वहां था या नहीं।

**श्री शरद पवार :** शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारे सभी पोर्ट्स आते हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से हर पोर्ट में पल्लिस और चीनी कितनी आई, कब आई, स्थिति क्या है, इसकी लिखित रिपोर्ट हमने मांगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता, मुम्बई, तुतिकोरिन, विजाग और काकीनाड़ा पोर्ट्स पर पल्लिस आया है और इनका पूरा हिसाब-किताब उन्होंने भी दे दिया है, चारों प्राइवेट सैक्टर्स ने भी दे दिया है तथा प्राइवेट एसोसिएशन, पल्लिस इम्पोर्ट एसोसिएशन आफ इंडिया ने भी दिया है। इनके माध्यम से यह बात सामने आई है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। जैसा मैंने पहले कहा है कि इतने बड़े देश में अगर कहीं चार बोरी

या पांच बोरी खराब हुई होगी और इसका फोटो अखबार या टीवी के माध्यम से देशवासियों के सामने आया है, तो आप या मैं, कोई भी हो, चिंता होना स्वाभाविक है कि यह ठीक नहीं हो रहा है। यह समझते हुए ही यह मुद्दा यहां उठाया गया होगा। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इस बारे में जो ध्यान देने की आवश्यकता है, वह ध्यान हमारी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि पलिसस हमारे देश में ला कर डिमांड और सप्लाइ का गैप पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। इस बारे में हम सहमत हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई पर बहुत बहस हुई है और बहुत तैयारी के साथ कृषि मंत्री जी जवाब भी दे रहे हैं, इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या मंत्री जी दो बातें मानने के लिए तैयार हैं? लागत खर्च से डेढ़ गुना से ज्यादा कारखाने की चीज नहीं बेची जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो साधारण सुई है टीबी की, वह लगभग दस रुपए का एक इंजेक्शन आता है। आप उसकी लागत का पता लगाएं तो वह तीन रुपए से ज्यादा नहीं है। वह सुई साढ़े चार रुपए में मिलनी चाहिए। दूसरी बात, एक फसल से दूसरी फसल तक बीस फीसदी से अधिक महंगी पैदावार नहीं होनी चाहिए, जिसे दाम बांधो नीति कहते हैं। दाम बांधो नीति वही सरकार चला सकती है, जिसमें साहस हो और हम उसमें सहयोग करेंगे। क्या मंत्री जी दाम बांधो नीति लागू करेंगे ।

**श्री शरद पवार :** आपने दाम के बारे में क्या कहा है?

**श्री मुलायम सिंह यादव :** मेरा सवाल दाम बांधो नीति के बारे में है। हमारा कहना है कि कारखाने में बनी चीज बनाने में जो लागत आती है, उसका ड्योढ़े से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए।

जैसे एक टी.वी. की सुई है जिसकी लागत कारखाने में लगभग 3 रुपये आती है और बाजार में 10 रुपये बेची जा रही है और स्टोर में वही सुई 225 रु. में बेची जा रही है जबकि कारखाने की बनी हुई चीज जो होती है, उसका खर्चा, उसकी लागत में ड्योढ़े से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए और किसान का जो उत्पादन है, वह एक फसल से दूसरी फसल तक 20 फीसदी से लेकर 25 फीसदी से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। क्या सरकार दाम बांधो नीति लागू करेगी ?

**SHRI SHARAD PAWAR:** I come to Minimum Support Price. That is one of the important issues which I also feel it. जो कुछ असर हुआ है, इसका असर डाइरेक्टली और इंडाइरेक्टली हो सकता है, हम जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर मैं पहले जिस खास आइटम के बारे में लोगों में नाराजगी है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत आम परिवारों को देनी पड़ती है, इनमें पल्सेज आती हैं, इसीलिए मैंने पल्सेज के ऊपर शुरु में ध्यान दे दिया।

दूसरा महत्वपूर्ण आइटम चीनी है। जहां तक चीनी की बात है, चूंकि चीनी का इस देश में कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि उसका एक साइकल होता है। 5 सालों का वह साइकल होता है। 5 साल में से 3 साल हमेशा चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और 2 साल चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है। जब चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है, उस समय गन्ने की कीमत बहुत ऊपर जाती है। किसान फिर गन्ना ज्यादा लगाता है और 2 साल के बाद जरूरत से ज्यादा इस देश में पैदावारी होती है। चीनी की कीमत नीचे जाती है, किसान को ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती और फिर किसान दूसरी फसल पर शिफ्ट होता है। ऐसी परिस्थिति कई सालों से इस देश में बन रही है। यह चीनी के क्षेत्र में साइकल है। सदन के सदस्यों को याद होगा, 3 साल पहले इस देश में चीनी का उत्पादन कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि 260 से 300 लाख टन तक चीनी का उत्पादन हो गया, जगह-जगह चीनी के स्टॉक पड़े रहे। चीनी मिल जिनकी जिम्मेदारी किसानों की गन्ने की कीमत देने की थी, वह देने की परिस्थिति में नहीं रहीं और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर उत्तर प्रदेश पर हो गया। मुझे याद है, मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, उस समय वहां के किसानों को ठीक तरह से गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए, इस बात पर ध्यान दिया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चीनी मिल वालों को बुलवाकर जगह-जगह पर जहां कीमत नहीं दी गई थी, वहां कीमत देने की एक परिस्थिति पैदा हो गई। तब किसानों को गन्ने की कीमत मिली। मगर इसके बाद के 2 साल ऐसे हुए कि उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की कीमत ठीक तरह से नहीं मिल रही थी और यह बात केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थी, देश के अन्य राज्यों की परिस्थिति भी ऐसी थी क्योंकि चीनी की कीमत 1000 रुपये टन से नीचे आई थी जिसका उत्पादन, खर्चा इससे ज्यादा है। कारखाने संकट में आ गये, मिल संकट में आ गई। माल बहुत पड़ा था लेकिन इसकी डिमांड नहीं थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड नहीं थी। इसलिए क्या करना है, यह जरूरत सरकार के सामने आ गई थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने बफर स्टॉक को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का एक कदम उठाया और 800 करोड़ रुपये की राशि इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्होंने दी। साथ-साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी मदद की और इससे देश में जो सरप्लस चीनी का स्टॉक था, वह कम करने के लिए कोशिश की गई। मगर जब इतनी कीमत कम हो गई और मुझे याद है कि जब सदन में 3 साल पहले यह बात मैंने कही थी, तब चीनी की कीमत 12, 13 रुपये के आसपास आने के बाद इस सदन में मांग की गई कि चीनी की कीमत और कम होनी चाहिए, तब मैंने सदन में कहा था कि चीनी की कीमत 20 या 22 रुपये तक जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी और जब तक किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि 2 साल के बाद इस देशवासियों को चीनी 27, 28 या 30 रुपये में खरीदनी पड़ेगी क्योंकि किसान दूसरी फसलों पर जाएगा ।

मैंने यह बात सदन में कही थी जो सदन के रिकॉर्ड में है और आज वही परिस्थिति आ गई। Last year, when this Government had announced Rs. 1080 per quintal price for wheat, a sizeable section of the farming community, particularly in Uttar Pradesh, shifted from sugarcane to wheat. अन्न का उत्पादन घटा। आज देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है लेकिन उत्तर प्रदेश में ही गन्ने की लागत सबसे कम हो गई। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन कम हो गया। इसके साथ नंबर दो पर महाराष्ट्र है और यहां उस समय उत्पादन घटा। जब दो राज्यों में उत्पादन घटा तब देश में चीनी की उपलब्धता कम हो गई और इसकी कीमत आज हम लोगों को देनी पड़ रही है। यह समस्या यहां तक सीमित नहीं हुई बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाले तीन देश आस्ट्रेलिया, ब्राजील और थाईलैण्ड और चौथा देश साउथ अफ्रीका है, इनमें ब्राजील को छोड़कर बाकी देशों में चीनी का उत्पादन घट गया। ब्राजील में इस साल गन्ने की लागत ज्यादा हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से कन्टीनुअसली बारिश आ रही है जिससे हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है और वहां चीनी मिलें नहीं चल सकी और उत्पादन रुक गया है। इसके कारण दुनिया में चीनी की कीमत ऊपर गई, भारत में चीनी की कीमत ऊपर गई और आज भारत में देशवासियों को एक जबर्दस्त संकट का सामना करना पड़ रहा है।

महोदया, मैं एक बात सदन को कहना चाहता हूँ कि जब दुनिया की मार्किट में हिन्दुस्तान उतरता है तो दुनिया की मार्किट की कीमत नीचे जाती है और जब दुनिया की मार्किट में हिन्दुस्तान कुछ खरीदने के लिए जाता है तब दुनिया की कीमत ऊपर जाती है क्योंकि हम खरीदते ही इतने बड़े पैमाने पर हैं और इसका असर दुनिया पर होता है। आज चीनी हो या पल्सिस हो, इन दोनों क्षेत्रों में भारत के कारण यह परिस्थिति बनी है। इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालने की आवश्यकता है। हमने इसके लिए पहला कदम उठाया कि 81 रुपए प्रति क्विंटल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सुधार किया और 109 रुपए किया। इस तरह से इतनी वृद्धि इसमें की गई। इसके साथ दूसरा कदम उठाया। **This is the Statutory Minimum Price; it is not the final price.** चीनी मिलों को इससे ज्यादा कीमत देनी है और दे सकते हैं, अगर देने की परिस्थिति हो तो उन्हें देनी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि गन्ने की लागत बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि बारिश ने एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा की है वरना इस देश में गन्ने का ज्यादा हिस्सा हो सकता था। हमारे सामने बाहर के देशों से चीनी लाने की समस्या थी। मैं आपको सच बताऊं तो हम बाहर से चीनी लाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब यहां का उपभोक्ता संकट में आ गया और इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई तब भारत सरकार ने कांसियश डिजीजन ले लिया कि हम बाहर से रॉ चीनी लेंगे।

कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि आप फाइन शुगर क्यों नहीं लाते, रॉ शुगर क्यों लाते हैं? इसका उत्तर यह है कि रॉ शुगर सस्ती होती है। हम यहां रॉ शुगर लाएंगे, अपनी चीनी मिलों में प्रॉसेस करेंगे जिससे चीनी मिलों की कैपिसटी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मजदूरों को रोजीरोटी मिलेगी और फिर उस चीनी को हम मार्किट में दे सकते हैं। हम तैयार चीनी लाएंगे तो डायरेक्ट उपभोक्ता को दे सकते हैं लेकिन हम बाकी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। हमने कांशियस डिस्मिशन लिया और इसके सब टैक्सिस खत्म किए और चाहें जितनी रॉ शुगर लाएं, इसकी ऑलरेडी इजाजत दे दी है। About 29 lakh tonne raw sugar has reached in this country and the process will start from next month when actually the mills will start crushing. जब तक मिल शुरू नहीं होती तब तक यह प्रॉसेस होगा। जिन लोगों को चीनी मिली है उनके ऊपर एक बंधन लगाया है कि इम्पोर्ट करने के बाद तीन महीने के अंदर माल मार्किट में बेचना ही पड़ेगा, अवेलेबल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं बेचा, स्टॉक किया तो यह जब्त हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दुकान को दे दिया जाएगा। हमने इसके साथ इस तरह का कदम उठाया है। हमें उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ फायदा होगा और चीनी आने के लिए तैयार होगी।

पिछले कई सालों से हमारे देश में ऑयलसीड्स का उत्पादन कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है। खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में सोयाबीन की फसल दिन-ब-दिन बढ़ रही है। सोयाबीन बढ़ रहा है, कुछ एरियाज में मस्टर्ड बढ़ता था, कुछ क्षेत्रों में कपास का तेल बढ़ता था और ग्राउंड नट तथा अदर्स फसलें भी ठीक तरह से होती थीं। लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई में गैप थी और पिछले दस सालों से भारत ने, उसमें चाहे एनडीए सरकार हो या आज की हुकूमत हो, उन्होंने एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करने की नीति स्वीकार की और आज इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ अन्य देशों से हम सोया ऑयल और पाम ऑयल बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करते हैं और डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

महोदय, एक अच्छी बात है, पिछले एक महीने से दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयलसीड और रिफाइंड ऑयल की कीमतें नीचे जा रही हैं।... (व्यवधान)

**श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व):** इससे देश में हर चीज का भाव बढ़ा है।

**श्री शरद पवार :** नहीं, तेल के भाव में फर्क पड़ा है।

**श्री हरिन पाठक :** एक-एक चीज का भाव बढ़ा है।

**श्री शरद पवार :** इसका असर देश के तेलों के भाव पर भी होने लगा है। चार दिन पहले मुझे एक डेलिगेशन मिला, जो इस देश में पैदावारी करने वाले लोग हैं और दूसरा केरल के हमारे कुछ साथियों का

डेलिगेशन मुझे मिला। उन्होंने कहा कि आप विदेश से जो ड्यूटी फ्री ऑयल लाते हैं, उस पर आप कुछ न कुछ बंधन डालिये। यहां केरल के सदस्य होंगे। I hope, some hon. Members from Kerala are now present here. There was a demand from the farmers from Kerala that we should not allow easily the import of these oils, and particularly the import of these oils should be stopped in Kerala. That was the demand from the hon. Members from Kerala because it was affecting the interests of the domestic farmers of Kerala. ... (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, it is seriously affecting the coconut farmers in Kerala. ... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, I am saying the same thing; what you are saying is correct. आज बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इसका असर यहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर हो रहा है। जो शिकायत अभी हमने केरल के सदस्यों के माध्यम से सुनी, ऐसी स्थिति आज अपने देश के कई एरियाज में पैदा होने लगी है। क्योंकि ऑयल सीड और रिफाइंड ऑयल बाहर से लाने के बाद यहां की कीमतें कम होने लगीं, इसका असर यहां के उत्पादन पर हो रहा है और इसलिए हमें इसका बैलेंस रखने की आवश्यकता है। हम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक प्रोडक्शन खत्म नहीं होगा और यहां का किसान नाउम्मीद नहीं होगा, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। ... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप बताइये, कम कहां हो रहा है? यह बढ़ रहा है।... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आप बताइये कौन से देश में भाव बढ़ा है। Please name these countries. ... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी के जवाब के बाद सवाल पूछेंगे तो अच्छा होगा, यदि बीच-बीच में पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मंत्री जी को जवाब खत्म करने दीजिए।

श्री हरिन पाठक : आप बतायें कि इसका समाधान क्या है? महंगाई कम नहीं हुई है। साढ़े छः सालों से महंगाई बढ़ रही है, यह कम कब होगी।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री हरिन पाठक : आम आदमी को इन सब बातों से क्या मतलब है।

SHRI SHARAD PAWAR: Why do you not listen? Please have some patience. ...  
(Interruptions)

Currently, in the international market, the price of the edible oil, as on 30<sup>th</sup> of July, 2009, is lower as compared to the same date last year. Palm oil price declined by 37.76 per cent per tonne, FOB; the price of soyabean has declined by 43.6 per cent. ... (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : यह बाहर हो रहा है, लेकिन यहां नहीं हो रहा है।

श्री शरद पवार : मैं बताता हूं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बताने दीजिए। आप बैठ जाइये।

**14.44 hrs.**

(Madam Speaker in the Chair)

श्री शरद पवार : आप यह तो मानते हैं कि बाहर हो रहा है... (व्यवधान) In the domestic market also, the wholesale price of the edible oil has declined in the same period; soyabean oil by 31.58 per cent; sun flower oil by 33.33 per cent; and palm oil by 30.77 per cent.... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Are you talking about the wholesale price or the consumer price?... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR: If the wholesale price has come down, there are some repercussions on consumer price too.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There are no repercussions... (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): आप कंज्यूमर प्राइस के बारे में बता रहे हैं या होल सेल प्राइस के बारे में बता रहे हैं?

श्री शरद पवार : मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। कुछ न कुछ असर इसके ऊपर भी हो रहा है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं कंज्यूमर प्राइस के बारे में जानना चाहता हूं।... (व्यवधान)

SHRI SHARAD PAWAR: I would just like to give information... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप ध्यान से सुनिये।

SHRI SHARAD PAWAR: I am just reading the statement. This is dated 6<sup>th</sup> August, retail price of the selected essential commodities in Delhi. You are referring about oil. On 6<sup>th</sup> August, 2008, the groundnut oil price in the city of



Delhi was Rs. 121 per kilo; and today, it is Rs. 107 per kilo. About mustard oil, it was Rs. 85 per kilo on 6<sup>th</sup> August, 2008 and today, it is Rs. 65 per kilo. About vanaspati oil, it was Rs. 73 per kilo and today, it is Rs. 55 per kilo... (Interruptions) These are the official figures of Delhi... (Interruptions) If you are not willing to understand, what can I do?... (Interruptions)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइये।

**श्री लालू प्रसाद :** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे माननीय सदस्यों के मन में यह जिज्ञासा है कि मंत्री महोदय के जवाब के बाद सब को मौका मिलना चाहिये। जो जानना चाहें, माननीय मंत्री जी बाद में उसका जवाब दे दें। अगर आप इस बात का इन्तजाम कर दें तो हल्ला-गुल्ला रुका रहेगा।

**संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** मंत्री जी के जवाब से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जितना समय इस विषय पर चाहिये था, उससे ज्यादा समय दिया जा चुका है।

**MADAM SPEAKER:** Hon. Minister, please continue.

**SHRI SHARAD PAWAR:** So, these are the important items. मैंने यह बात शुरू में साफ तौर पर कही है कि मैं ऐसा बिलकुल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि देश में असैशियल कौमोडिटीज की कीमतें ठीक तरह से नीच आ रही हैं जिससे आम जनता संतुष्ट हो जायेगी, मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन यह बात मैंने जरूर कही है कि चीनी की कीमतें आज ऐसी परिस्थिति में पहुंची है कि हर सैक्शन प्रभावित है। चीनी के रेट्स नीचे लाने के लिये कुछ न कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिये इम्पोर्ट का रास्ता स्वीकारना पड़ेगा, सब्सिडी का रास्ता स्वीकारना पड़ेगा। साथ ही साथ लॉग टर्म प्लानिंग में इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये कोशिश करनी पड़ेगी। इस साल एक अलग सा माहौल पैदा हो गया कि वर्षा कम हुई है। इसलिये बारिश कम होने का असर इस पर हो गया। मैं ने इस बात को शुरू में स्वीकार किया है। मैं इस परिस्थिति को नजर-अंदाज नहीं करना चाहता हूँ। आम जनता को जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ के बारे में इस सरकार को बिलकुल... (व्यवधान)

**श्री लालू प्रसाद :** अध्यक्ष महोदया, मैंने जो सवाल किया, आपकी तरफ से उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। बंसल जी ने कहा... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी का उत्तर पूरा हो जाने दीजिये।

**श्री लालू प्रसाद :** हम क्या करें, क्या चले जायें?

**अध्यक्ष महोदया :** नहीं, आप क्यों जायेंगे, आप पूरा उत्तर सुनिये।

**श्री शरद पवार :** आप कहां जायेंगे?

**अध्यक्ष महोदया :** आप उत्तर सुनिये, क्यों जायेंगे?

**श्री शरद पवार :** हमें छोड़कर कहां जायेंगे?

**श्री लालू प्रसाद :** हम यहीं हैं।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** जब आप इस पर कह रहे हैं कि उत्तर नहीं दिया जायेगा...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप पूरा उत्तर सुन लीजिये। इस पर चर्चा हो चुकी है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी, आप शान्त हो जाइये।

**श्री शरद पवार :** अध्यक्ष महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने सब्जियों के रेट बढ़ने के बारे में कहा है। यह बात सच है कि पिछले कुछ समय से बारिश कम हो रही है। पानी की स्थिति देश में गम्भीर हो रही है जिसका असर सब्जियों पर पड़ रहा है। मगर सब्जियों के रेट्स में और पल्सेज़ के रेट्स में फर्क है क्योंकि सब्जियों की परिस्थिति देश में कभी परमानेंट नहीं रहती है।

यह मैंने कई बार देखा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहां प्याज ज्यादा पैदा होता है। कभी प्याज की कीमत इतनी नीचे जाती है कि उसे मार्केट में ले जाने के लिए किसान का जो खर्चा लगता है, वह भी किसानों को नहीं मिलता है इसलिए उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। कभी-कभी प्याज की कीमत इतनी ऊपर जाती है कि उपभोक्ता की आँखों में आंसू आ जाते हैं। यह बात हम लोगों ने कई बार देखी है। आज यह परिस्थिति पैदा हुई है। आज पूरे देश में सूखे की जो अवस्था है, उसका कुछ न कुछ असर उसके ऊपर हुआ है और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चाहे आलू हो या प्याज हो, इसका कुछ न कुछ असर हुआ है।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया, दवाएं बहुत मंहगी हो गयी हैं, उसके बारे में मैंने सवाल पूछा था। दवाएं इतनी मंहगी हो गयी हैं कि गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। मंहगाई की वजह से, दवाओं के अभाव में सैंकड़ों लोग मर रहे हैं। दवाएं बहुत मंहगी हैं।...(व्यवधान) क्या कृषि मंत्री इस संबंध में बताएँगे ।

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया शांत हो जाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री शरद पवार :** महोदया, मुलायम सिंह जी ने सदन के सामने एक बात कही।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: No, please take your seat.

...(व्यवधान)

**श्री लालू प्रसाद :** महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, हम लोग सीनियर लीडर हैं।

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए।

**श्री लालू प्रसाद :** महोदया, हमारी बात सुन ली जाए। एक मिनट में हमारी बात सुन ली जाए। यहां मूल सवाल भूख का है। इस भूख में चावल गायब हो गया है। दाल के बारे में हम मानने को तैयार हैं कि शॉर्ट-फॉल है। गेहूं भी पैदा नहीं होने वाला है। आपके बफर स्टॉक में दो साल के लिए भोजन कराने का क्या प्रबंध है?... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया बैठ जाइए। आप मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री लालू प्रसाद :** आप पहले यह बताइए कि आपके बफर स्टॉक में केवल नमक और रोटी खाने के लिए कितना अनाज पड़ा हुआ है?... (व्यवधान) आप उसके बाद चीनी पर आइए। अपलेट मार्केटियर्स है, होडर्स हैं, डिहोर्डिंग के लिए आप क्या कार्यक्रम बना रहे हैं?... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** लालू प्रसाद जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री शरद पवार :** यह बहुत अच्छा सवाल दोनों यादवों, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, ने सदन के सामने रखा है। मुलायम सिंह जी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कहा है।... (व्यवधान)

**श्री लालू प्रसाद :** मुलायम सिंह जी और मेरे बीच कंटीशन है।... (व्यवधान)

**श्री शरद पवार :** माफ कीजिए, आप दोनों और शरद जी भी एक हैं। उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए।... (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आप तीनों यादवों से परेशान क्यों हैं?... (व्यवधान)

**श्री शरद पवार :** तीनों यादवों को मिलकर सदन को परेशान नहीं करना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। मैं माफी चाहता हूँ, यह मजाक की बात है। इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण इश्यू रखे थे- regarding the Minimum Support Price, this Government has taken conscious decision to provide a better price to the farming community. मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा था कि हमारे यहां गेहूं का उत्पादन कम हुआ था। इसी सदन में तीन साल पहले जब

गेहूँ इम्पोर्ट करने की नौबत आ गयी थी, तब इसके ऊपर बड़ी नाराजगी पैदा हुई थी। यह बात साफ थी और इस पर ठीक तरह से कदम उठाने के लिए, गेहूँ की जो 600 रूपए कीमत थी, उसे 1000 रूपए करने का निश्चय डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने किया था।

महोदया, दूसरे साल इसे 1,080 रूपए किया गया। आज लालू जी ने यहां सवाल उठाया। इसका यह फायदा हुआ कि आजादी के बाद आज तक इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद आज तक गेहूँ का इतना प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुआ था। आज हमारे पास 252 लाख टन गेहूँ है। जैसा कि लालू जी ने कहा, अगले 13 महीने तक...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री शरद पवार :** आज हमें 252 लाख टन गेहूँ प्रोक्योर करने में कामयाबी मिली। अगले 13 महीने के लिए देश की जो जरूरत है, उतना गेहूँ सरकार के गोदाम में है।

जहाँ तक दूसरी बात लालू जी ने चावल के संबंध में कही, वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चावल का आज तक इतना प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुआ था - 356 लाख टन के आस-पास चावल का प्रोक्योरमेंट हुआ है। अगले 13 महीने की देश की जो चावल की आवश्यकता है, वह देश के पास है।

एक समस्या सिर्फ हमारे सामने बिहार के कुछ क्षेत्रों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आई है। इन राज्यों से आज जो चावल बाकी है, जिसको उसना चावल भी बोलते हैं, पार-बॉइल राइस भी कहते हैं,...(व्यवधान) इसकी एक स्थिति ऐसी है कि आज भी किसानों और मिलों के पास वह चावल है। उसको खरीदने की हमारी पूरी तैयारी है। मगर देश का कोई भी राज्य आज उसना चावल लेने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ वह चावल पैदा होता है, कम से कम वहाँ तो हमने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए दिया, इसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चाहे आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, इन राज्यों का आज जो माल पड़ा है, वह पूरा माल फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद करेगा और उन राज्यों को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन को देना पड़ेगा। वह देने की हमारी तैयारी है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो यह माल खरीदने के बाद इसको देश में कोई स्वीकार नहीं करेगा तो उससे देशवासियों का नुकसान होगा, इतना ही मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

एक बात यहाँ कीमत के बारे में कही गई। जैसे मैंने कहा कि गेहूँ की कीमत, चावल और धान की कीमत अच्छी देने के लिए कोशिश की तो इसका असर हो गया। मगर इससे भी ज्यादा कीमत देने की माँग यहाँ की गई और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से इस तरह की माँग आई है। मुझे कल छत्तीसगढ़

के मुख्य मंत्री जी का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है और रिकमंड किया है कॉमन ग्रेड के लिए। Rs. 1,186 is the price for one quintal of paddy which has been proposed by the hon. Chief Minister of Chhattisgarh. In fact, one should go in detail. What will be the ultimate impact on price of rice? जब हम एक क्विंटल पैडी खरीदते हैं तो 65 किलो राइस मिलता है। If we pay Rs. 1,186 and add Rs. 148 of local taxes at the rate of 12.5 per cent, it will come to Rs. 1,334. Then, there will be *mandi* charges of Rs. 15. Rice recovery will be 67 per cent. Therefore, the cost of one quintal of rice will be Rs. 2,024. In addition, there will be cost of Rs. 50 towards gunny bags. So, the total price of one quintal is Rs. 2,074. आप समझो कि 2100 रुपये क्विंटल चावल की कीमत हो गई तो उपभोक्ता को किस कीमत पर हमें माल देना चाहिए? ...(ब्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया शांत रहिये।

**श्री शरद पवार :** 2100 रुपये आज हमने किसानों को दिये, वहाँ प्रोसेस करने के लिए लागत लगाई और 2100 रुपये का वह चावल सरकार के गोदाम में आकर पड़ा तो आम जनता को इसकी ज़बर्दस्त कीमत देनी पड़ेगी। मैं इस पक्ष में हूँ कि किसानों को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाए, यह इसलिए उठाए कि किसान को वह कीमत मिले जो कभी नहीं मिली थी। मगर कीमत देते समय हम उपभोक्ता को भी नज़रंदाज़ नहीं कर सकते। हमें इसमें बैलैन्स रखना होगा।

### **15.00 hrs.**

बैलेंस रखने के अप्रोच को इस सरकार ने आज तक स्वीकार किया है।...(ब्यवधान)

There was an issue ... (*Interruptions*) which has been raised by some hon. Members, namely, that allocation of food grains for State Public Distribution System (PDS) has been reduced for BPL and AAY. I would like to make one position absolutely clear that not for a single State and not even one grain was reduced by this Government for BPL and AAY. ... (*Interruptions*)

**SHRI P. KARUNAKARAN :** As far as Kerala is concerned, the APL quota was reduced as compared to 2007. ... (*Interruptions*)

**SHRI SHARAD PAWAR :** I said that not a single grain has been reduced for BPL and AAY. Not only that, the price, which has been fixed in 2002, even today we are selling at the price of 2002 to the BPL category, and AAY ... (*Interruptions*)

We have not enhanced the price. We have taken substantial burden, and that is the reason that the burden of the subsidy has gone up from Rs. 19,000 crore to Rs. 55,000 crore. Therefore, this type of burden this Government has taken just to protect the interest of vulnerable sections of the society. ... (*Interruptions*)

Secondly, there was a demand ... (*Interruptions*)

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): What about the APL category? ... (*Interruptions*)

SHRI SHARAD PAWAR : As regards Above Poverty Line (APL), we have taken a decision for supply of uniform minimum 10 kgs. Kerala was one of the States, which was always coming with some proposals, and I always try to accommodate it.

In fact, I saw the statement from one of the Ministers from Kerala day-before yesterday stating that : “We have approached the Government of India, the hon. Prime Minister, and the Agriculture Minister for some support and additional quota for the festival, but it was not accepted by the Government of India.” I am sorry to say this. The hon. Chief Minister of Kerala and the hon. Civil Supplies Minister of Kerala Mr. Divakaran and their officials met me personally, and they gave a request that they want 50,000 tonnes additional quota of rice and 25,000 tonnes additional quota of wheat for the festival and that it has to be released as early as possible. I just told him then that we have assessed the stock position, and we said that : “Yes, we are ready to supply this. We can protect the interest of all the people from Kerala for the Onam festival.”

The only question was about price. The price, whatever I am paying to the farmers, you will have to pay that money to us. Therefore, that price we are expecting from them. ... (*Interruptions*) We have made allocation to the State for 50,000 tonnes of rice and 25,000 tonnes of wheat. ... (*Interruptions*) Still, I have seen the statement from the Kerala leadership that the Government of India has not sanctioned a single grain to them. ... (*Interruptions*) I am sorry to say this. ... (*Interruptions*) This Government will never take this type of approach with any

State Government irrespective of political party. ... (*Interruptions*) This is our total approach about it. ... (*Interruptions*)

Hon. Shri Basu Deb Acharia ... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : It is for the festival of Onam in Kerala. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Let the hon. Minister reply.

... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : We would request the hon. Minister for this because this is for the Onam festival in Kerala. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please take your seat. Kindly take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI SHARAD PAWAR : Please do not confuse things with it. ... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : What about the APL price, and not the BPL price? ... (*Interruptions*)

SHRI SHARAD PAWAR : Whatever price I am paying to the farmers ... (*Interruptions*) Additional quota from any State, they have to accept the price, which has been paid to the farmers. We do not want to take establishment charges and we do not want all the money that we are spending for interest, store charges, transport charges, etc. All the burden will be taken by the Government of India, but the money, which has been paid to the farmers has to be recovered from the respective States for additional quota. This type of decision is taken. ... (*Interruptions*)

As regards action on essential commodities, लालू जी ने होर्डिंग के बारे में कहा है। सभी राज्यों को भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का आधार लेकर स्टॉक लिमिट, लाइसेंसिंग और स्टॉक डिकलरेशन और होर्डिंग के खिलाफ कदम उठाने चाहिए।

देश के 18 राज्यों ने इसे स्वीकार किया और 13 राज्यों ने इस बारे में जो आर्डर इश्यु करने की आवश्यकता थी, वे इश्यु किए। इस साल राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, वे बहुत कम हैं। आज तक इसमें जो होर्डर्स को डिटेन करने की आवश्यकता थी, ऐसे टोटल डिटेक्शन इस देश में चार राज्यों ने किए,



उन्होंने 162 परसेंट आज तक बड़े व्यापारियों या कुछ लोगों को डिटेन किया, ऐसा रिकार्ड उन्होंने हमें दिया है। कल प्रधान मंत्री जी ने इस काम के लिए देश के सभी मुख्य सचिवों और बाकी लोगों की मीटिंग बुलाई है, सूखे की स्थिति का अंदाज लेंगे।... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** चार राज्य कौन से हैं?... (व्यवधान)

**श्री शरद पवार:** सूखे जैसी परिस्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश नहीं है।... (व्यवधान)

**श्री लालू प्रसाद :** पहले भी प्रधान मंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, उस समय भी राज्यों से कोई सहयोग नहीं मिला था। आप सही बात नहीं बता रहे हैं, हम अगर एक लाख की दाल लेना चाहते हैं तो दाल मौजूद है और महंगाई आसमान पर है। ... (व्यवधान) ब्लैकमार्केटियर्स के खिलाफ होर्डिंग अभियान नहीं चलाएंगे, ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** लालू प्रसाद जी, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI SHARAD PAWAR: As a first step, tomorrow morning, at 10.30 a.m., a meeting of all the Chief Secretaries has been called to take a review of what exact action the State are taking to control the hoarders, the black-marketeers. We will find out what effective steps have been taken by them. There is also a proposal, I am not sure, that probably on the 17<sup>th</sup> of this month, a meeting of Chief Ministers may also be called just to discuss this. We will try to urge them that each State has to take very deterrent action against hoarders and black-marketeers. That action will be taken. The situation is very serious. The Government of India has taken this entire situation quite seriously. We have decided that whatever is available here, we will try to distribute it properly, and whatever shortfall is there, we will try to import it from anywhere in the world. Our efforts will be to see that there is no question of food shortage in this country, and common man should not be affected because of higher prices, which is beyond his control.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down, you cannot be standing up all the time.

... (Interruptions)



MADAM SPEAKER: Please sit down. We have had a debate. Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : He has not stated anything. We are walking out in protest.

**15.07 hrs.**

*(At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House.)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप बोलना चाहते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, देश में महंगाई के बारे में सदन में कई दिनों से कोशिश होती रही कि हम इस पर चर्चा करें। कल और आज जो चर्चा हुई है, जिसे कि हमारे सीपीएम के नेता ने आरम्भ किया, उसका इस समय जो जवाब दिया गया, मुझे नहीं लगता कि सदन को इस बात का संतोष हुआ, क्योंकि कुल मिला कर उत्पादन, प्रक्योरमेंट बढ़ा है, फिर महंगाई क्यों बढ़ी है? इस सरकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, अभी-अभी आप जो चुनाव जीते, आपको अच्छा जनादेश मिला, उसमें प्रमुख रूप से आपने आम आदमी के प्रति न्याय करने का संकल्प किया था। अगर आम आदमी किसी बात से सबसे अधिक दुखी है, उसे तकलीफ है, गरीब की कैसी स्थिति होगी, जब दाल की कीमत बढ़ जाए। मंत्री जी ने सब्जियों की बात कही, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफदेह बात यह है, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सदन का इस समय सत्रावसान होगा, हम राष्ट्रगान में जरूर सम्मिलित होंगे, लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पर हम सदन का त्याग करना चाहते हैं।

**15.09 hrs.**

*(Shri L.K. Advani and some other hon. Member then left the House)*

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिए। उन्हें बहिर्गमन करना है, शांतिपूर्वक करने दीजिए। आप शांत रहिए।

... (व्यवधान)



**15.10 hrs.****VALEDICTORY REFERENCE**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Second Session of the Fifteenth Lok Sabha, which commenced on 2<sup>nd</sup> July, 2009 is coming to a close today.

During the Session, which is the first Budget Session of the 15<sup>th</sup> Lok Sabha, we had 26 sittings spread over 162 hours.

The Budget (Railways) and the Budget (General) for the year 2009-2010, were presented on 3<sup>rd</sup> and 6<sup>th</sup> July, 2009 respectively.

The House had a structured discussion on the Budget (Railways) for 2009-2010 lasting for 17 hours and 57 minutes in which 197 members participated. As the Departmentally Related Standing Committees have not yet been constituted, the Demands for Grants (Railways) for 2009-2010 were voted after a motion regarding suspension of rule 331G was adopted and the related Appropriation Bill was passed.

The House also had combined discussion lasting over 17 hours and 12 minutes on the Budget (General) for 2009-2010 and Demands for Excess Grants (General), 2006-2007, before the said Demands were voted and the related Appropriation Bill was passed.

The Demands for Grants for 2009-2010, in respect of the Ministries of Human Resource Development, Agriculture and Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Power, Home Affairs and Women and Child Development were discussed, after adoption of a motion for suspension of Rule 331G, for 31 hours and 18 minutes before being voted in full. All the other outstanding Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 2009-2010 of the remaining Ministries were submitted to the vote of the House and voted in full on 23<sup>rd</sup> July, 2009 and the related Appropriation Bill was passed.

The Budget in respect of State of Jharkhand for the year 2009-2010 was presented to Lok Sabha on 8<sup>th</sup> July, 2009. A combined discussion on the motion

for revocation of President's Rule in Jharkhand and Statutory Resolution for extension of President's Rule in the State along with the Budget in respect of the State of Jharkhand for 2009-2010 and Demands for Grants (Jharkhand) 2009-2010 were taken up. After discussion, the Motion for revocation of President's Rule in Jharkhand was put to vote and negatived and the Statutory Resolution was adopted. The Demands for Grants were voted in full and the related Appropriation Bill was passed.

The House also discussed the Finance Bill, 2009 for about 9 hours and 49 minutes before it was passed to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2009-2010.

During the Session, 16 Bills were introduced and 8 Bills were passed. Some of the important Bills passed were the Constitution (One Hundred and Ninth Amendment) Bill, 2009 and the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2009.

During the Session, 500 starred questions were listed, out of which 87 Questions could be answered orally. Thus, on an average, about 3.34 Questions could be answered per day. Written replies to the remaining Starred Questions along with 4894 Unstarred questions were laid on the Table.

About 280 matters of urgent public importance were raised by the Members after the Question Hour and by sitting late in the evening. Hon. Members also raised 322 matters under the Rule 377.

The House also had four short duration discussions under rule 193 on subjects of urgent public importance, namely, (i) the situation arising out of rapid spread of swine flu in the country; (ii) the situation arising out of drought and floods in various parts of the country; (iii) the issues arising out of Prime Minister's recent visit to foreign countries and (iv) the rise in prices of essential commodities. While the discussion on swine flu remained inconclusive, the other three discussions were concluded with the reply of the concerned Ministers.

During the Session, three important matters were raised by way of Calling Attention, namely (i) need to check the pollution in rivers and lakes in the country; (ii) situation arising out of large-scale loss of jobs due to retrenchment and closure of industries, including IT sector; and (iii) situation arising due to export of non-Basmati rice to certain countries in violation of Government guidelines. In response to these Calling Attention notices concerned Ministers made statements and replied to the clarifications of the Members. As many as 39 statements were made by the Ministers on various other important subjects, including a statement by the hon. Prime Minister on his foreign visits to Italy, France and Egypt and five statements by the hon. Minister of Parliamentary Affairs on Government Business.

Coming to the Private Members' Bills, 30 Private Members' Bills were introduced during the Session. One Bill, namely the Underdeveloped and Backward Areas and Regions (Special Provisions for Accelerated Development) Bill, 2009 moved by Shri Baijayant Panda remained part discussed.

A Private Members' Resolution regarding constitution of National Board for the Development of Himalayan States moved by Shri Virender Kashyap was discussed for 4 hours 38 minutes and was thereafter withdrawn with the leave of the House. Another resolution regarding steps to ensure availability of drinking water in the country moved by Shri Satpal Maharaj on 10<sup>th</sup> July, 2009 remained part discussed.

In this Session, while we lost over 23 hours 34 minutes of time due to interruptions and forced adjournments, I am happy to inform that the House also sat late for 30 hours and 52 minutes to transact important financial and other business for which I thank the Members. This amply demonstrates the commitment of hon. Members to the welfare of our people. This House is the supreme representative body of the people which should properly reflect their aspirations. Debate and discussions alone are the proper methods to focus the attention of the Government and the nation on the problems of the people. If the

business of the House is disrupted, it is the people we represent who suffer. I firmly believe that we have no right to do that. I would, therefore, take this opportunity to appeal to the hon. Members to spare no efforts to see that the business of the House is not disrupted for any reason. Enough opportunities are available for orderly discussion of issues concerning the people.

I would like to thank the hon. Deputy Speaker and my colleagues in the Panel of Chairmen for their cooperation in the completion of business of the House. I am extremely grateful to the hon. Prime Minister; the Leader of the House, the Leader of Opposition, the Chairperson of UPA; the Minister of Parliamentary Affairs; Leaders of various parties and groups as well as the Chief Whips apart from the hon. Members for their cooperation.

I would also like to thank, on behalf of all of you, our friends in the media. I take this opportunity to compliment the Secretary-General for the competent and expert assistance being rendered to me. I thank the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat for their dedicated and prompt service to the House. I also thank the allied agencies for their able assistance in the conduct of the proceedings of the House.

---

**15.20 hrs.**

**NATIONAL SONG**

**MADAM SPEAKER:** Hon. Members may now stand up as *Vande Mataram* would be played.

*(The National Song was played.)*

**15.21 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned sine die.*



---